HIGHEST EVER ACHIEVEMENT 150+ MMT 2024-25 DPA, KANDLA

27वाँ अंक
जनवरी-जून 2025

दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण

भारत का नं. 1 महापत्तन

लहरों का राजहंस

28 जनवरी 2025 को आयोजित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की छमाही समीक्षा बैठक के दौरान वर्ष 2023-24 के विजेता कार्यालयों को राजभाषा शील्ड प्रदान करते हुए श्री नंदीश शुक्ल, उपाध्यक्ष, दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण।

श्री सुशील कुमार सिंह
भा.रे.से.मै.इं.
अध्यक्ष,
दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण

अध्यक्ष की कलम से

यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण की हिंदी गृह पत्रिका 'लहरों का राजहंस' के नियमित प्रकाशन द्वारा राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। पत्रिका के सत्ताईसवें अंक के माध्यम से आप सभी से संवाद स्थापित करते हुए मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है।

सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रयासों के फलस्वरूप दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण में राजभाषा हिंदी का कार्यान्वयन लक्ष्यानुरूप बना हुआ है। इस उपलब्धि के लिए दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी सराहना के पात्र हैं। इसके अलावा दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण, कंडला/गांधीधाम की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) की अध्यक्षता के दायित्व को भी बखूबी निभा रहा है, और नगर में केन्द्र सरकार के कार्यालय नराकास की गतिविधियों में अपना योगदान देकर इसके गठन के उद्देश्य को पूरा करने में अपना सहयोग दे रहे हैं।

दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण ने कार्गो प्रहस्तन के मामले में वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान निर्धारित लक्ष्य को हासिल करते हुए 150 + मिलिटन मीट्रिक टन कार्गो प्रहस्तन का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यह भी अत्यंत हर्ष का विषय है कि राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में राजभाषा हिंदी में उत्कृष्ट कार्य हेतु पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय की शील्ड योजना के तहत दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण को 'ख' क्षेत्र के लिए वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के लिए द्वितीय पुरस्कार एवं वर्ष 2018-19 के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी के संगठित प्रयासों से हम न केवल इस वर्ष भी उपलब्धियों को बनाए रख पानें में सक्षम होंगे, बल्कि इन्हें और अधिक ऊँचे स्तर तक ले जा पाएंगे।

अंत में, हिंदी गृह पत्रिका के प्रकाशन से जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सफल प्रयासों की मैं सराहना करता हूँ और उन्हें बधाई देता हूँ, साथ ही आशा करता हूं कि पत्रिका अपने प्रकाशन से उद्देश्य में सफल सिद्ध होगी।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित।

श्री योगेश कुमार सिंह
सचिव
दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण

सचिव का संदेश

मुझे बहुत प्रसन्नता है कि दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण की हिंदी गृह पत्रिका 'लहरों का राजहंस' का सत्ताईसवां अंक आप सब के सम्मुख है। हिंदी गृह पत्रिका का प्रकाशन दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण की नियमित गतिविधियों का एक महत्त्वपूर्ण अंग है जो राजभाषा कार्यान्वयन की गति को तीव्रता प्रदान करती है। आशा है कि पिछले अंकों की तरह यह अंक भी आप सभी को पसंद आएगा।

केन्द्र सरकार के पोत परिवहन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय होने के नाते दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा लागू सभी नीतियों का अनुपालन करता है। जब कि संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाया गया है, अतः हम सबको अपना कार्य यथासंभव हिंदी में करना चाहिए ताकि संविधान की मूल भावना का पालन हो सके। कहने की आवश्यकता नहीं है कि आम जन की भाषा में सरकारी कामकाज करने से विकास की गति और तेज होगी और पारदर्शिता भी आएगी।

राजभाषा हिंदी में सरकारी कामकाज को बढ़ावा देने के लिए सरकार की नीति प्रेरणा और प्रोत्साहन की रही है, जिसका अनुपालन दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण में भी हो रहा है। दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए कई प्रोत्साहन योजनाएँ लागू हैं। इसके अलावा हिंदी दिवस/पखवाड़ा का आयोजन, नियमित हिंदी कार्यशालाओं के आयोजन के साथ-साथ लेखन आदि के क्षेत्र में रुचि रखने वाले दीनदयाल पत्तन के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं उनके परिजनों के लिए उनकी सृजनात्मक क्षमता का सार्वजनिक प्रदर्शन करने में सहायता हेतु हिंदी गृह पत्रिका का छमाही प्रकाशन भी किया जाता है। इन सब का उद्देश्य दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण में कर्मचारियों तथा उनके परिवारजनों को हिन्दी के प्रयोग हेतु प्रोत्साहित करना है। दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण कंडला/गांधीधाम क्षेत्र की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अध्यक्षता के दायित्व का भी बखूबी निर्वहन कर रहा है।

दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण द्वारा राजभाषा विभाग के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सतत प्रयास जारी रखने की आवश्यकता है ताकि पत्तन राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में शीर्षतम बिंदु को स्पर्श कर सके। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि अपने दैनिक कार्यालयीन कार्यों में राजभाषा हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करते हुए संघ सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन में लिए जा रहे पत्तन के प्रयासों को मजबूती प्रदान करें ताकि हमारे प्रयासों को मूल्यांकन के सभी स्तरों पर मान्यता और सम्मान प्राप्त होता रहे।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित।

श्री नितिन सिंह तोमर
हिंदी अधिकारी
एवं
संपादक, लहरों का राजहंस

'संपादकीय'

प्रिय पाठकों,

"लहरों का राजहंस"-एक पत्रिका नहीं, आपकी अपनी आवाज़ है और जब आवाज़ अपने लोगों से मिले, तो हर अंक उत्सव बन जाता है। दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण की इस हिंदी गृह पत्रिका के 27वें अंक के प्रकाशन पर आप सभी को दिल से मुबारकबाद ! क्योंकि, यह पत्रिका सिर्फ़ हमारे द्वारा नहीं, आपके साथ मिलकर बनी है। जो लिखा गया है, वह सिर्फ पन्नों पर नहीं - रिश्तों में दर्ज हुआ है।

हालाँकि, कुछ लोग चुप रहते हैं... तो कुछ अपनी बात हर शब्द में रख देते हैं। हमारी पत्रिका "लहरों का राजहंस" इन्हीं दोनों की बीच कहीं ठहरती है। इस बार जब रचनाएं आईं, तो एहसास हुआ - हमारे पास कलमों की नहीं, ज़ज्बातों की भीड़ है।

कविताएं आईं - बहुत सी। कुछ दिल से निकलीं, कुछ दिल तक पहुँची। और कुछ बस आ गई शायद इसलिए कि शब्द मिल गए थे और मोका भीं। लेख कम थे, पर जो थे - उन्होंने वाक़ई सोचने पर मजबूर किया। काश और होते-ताकि विचारों का पलड़ा भी रचनात्मकता के साथ थोड़ा और भारी होता।

यही कोई शिकायत नहीं, बस एक दबी-सी गुजारिश है। हमारी यह पत्रिका सिर्फ मनोरंजन का ज़रिया नहीं - यह हमारे दफ़्तर की आत्मा की आवाज़ है। यहाँ वो लिखा जाए, जो टिक सके। जो कल पढ़ा जाए और तब भी कुछ कहे। तो अगली बार जब आप कलम उठाएं - तो सिर्फ रचना न हो, एक मक़सद हो। क्योंकि, हर शब्द जिम्मेदारी भी होता है।

बाक़ी तो लहरें है-चलती रहेगी। पर राजहंस तब ही उड़ेगा, जब हर पंख अपनी जगह से जुड़ेगा।

तो आइए, इस सफ़र का हिस्सा बनिए, मुस्कुराइए और जब मन करें - अपने 'हिन्दी-प्रकोष्ठ' को कुछ लिख भेजिए। क्योंकि, अगला अंक शायद आपकी किसी चुप्पी से जन्म लें।

इस अंक के लिए आप सभी को अनेक-अनेक शुभकामनाएँ एवं बधाई।

आपका अपना,
नितिन सिंह तोमर

||| सुभाषितानि ||

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः।
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते।।

श्रीमद्भगवद्गीता (3.21)

श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, सामान्य जन उसका अनुसरण करते हैं। समस्त विश्व उनके उत्कृष्ट आचरण द्वारा स्थापित आदर्शों का अनुकरण करने का प्रयत्न करता है।

लहरों का राजहंस

27वाँ अंक
जनवरी 2025 - जून 2025

संरक्षक

श्री सुशील कुमार सिंह - भा.रे.से.मै.ई.
अध्यक्ष

मार्गदर्शक

श्री योगेश कुमार सिंह - सचिव
श्री प्रदीप महान्ति - उप संरक्षक
श्री अनंत वी.पी.चोडणेकर - वि.स. एवं मु.ले.अ.
श्री बी. रत्नशेखर - यातायात प्रबंधक
डॉ. अनिल चेलानी - मुख्य चिकित्सा अधिकारी
श्री वी. रवीन्द्र रेड्डी - मुख्य अभियंता
श्री ए. रामास्वामी - मुख्य प्रचालन प्रबंधक

संपादक

श्री नितिन सिंह तोमर - हिंदी अधिकारी

उप–संपादक

श्री ओम प्रकाश दादलानी - जनसंपर्क अधिकारी
श्री राजेश रोत - उप सामग्री प्रबंधक

संपादन सहयोग

श्रीमती संगीता खिलवानी - वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक
सुश्री इशरावती यादव - हिन्दी अनुवादक
श्री हरीश बचवानी - हिन्दी टंकक सह वरिष्ठ लिपिक

अनुक्रमणिका

			पृष्ठ सं.
1	राजभाषा नीति का सफल क्रियान्वयन	श्री योगेश कुमार सिंह	1
2	बच्चों के लिए मोबाइल हानिकारक	श्री दीपक रमाकांत राणें	4
3	समय जो गया, वो फिर हाथ नहीं आता	श्री शैलेंद्र कुमार पाण्डेय	8
4	महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 का महत्त्व	श्री नितिन सिंह तोमर	10
5	ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन	श्री रोनक दनिचा	15
6	मन का आईना	सुश्री जिनल आर. ठक्कर	16
7	कर्मयोगी भक्ति : हनुमान जी	श्री उदय शंकर शर्मा	17
8	श्री नम्बी नारायण	श्री डी. वेंकटेश	19
9	कम्प्यूटर में हिंदी टाइपिंग कैसे करें?	सुश्री इशरावती यादव	20
10	जीवन की चुनौतियां हमें हमेशा मजबूत बनाती है	श्री प्रतिक एन. भावनानी	21
11	हिंदी और सिंधी : दो भाषाएं, एक आत्मा	श्रीमती संगीता खिलवानी	22
12	हिन्दी	सुश्री ईला वेदान्त	23
13	ज्ञान की यात्रा : इच्छा और दिशा दोनों जरुरी है	सुश्री मितल एम. गढवी	24
14	अपनी भाषा है हिंदी	श्रीमती ज्योति एम. भावनानी	25
15	सुरक्षा	श्री कमल आसनानी	26
16	सिन्दूर की साक्षात शक्ति	सुश्री जिनल आर. ठक्कर	27
17	चाय के फायदे	श्रीमती मोना एल. नरियानी	28
18	जिन्दगी की राह	श्रीमती अंजू बी. आहूजा	29
19	सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी	श्रीमती हेमलता बी. पवागढ़ी	30
20	खबर न पई	श्री जयेश शामजी देवरिया	31
21	वो मुझे खोने से डरता है	श्रीमती विशाखा टाकोदरा	32
22	नर हो, न निराश करो मन को	श्रीमती सोनिया जे. हेमनानी	33
23	हिन्दी बादशाह	श्री शिवचरण मीना	34
24	माँ का घर	श्रीमती सपना टहिल्यानी	35

राजभाषा नीति का सफल क्रियान्वयन

श्री योगेश कुमार सिंह
सचिव,
दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण

भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पहचान, भावनात्मक एकता और प्रशासनिक सुगमता की भी प्रमुख आधार है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। यद्यपि भारत की अनेक भाषाएं उसकी विविधता की पहचान हैं, किंतु हिंदी को राजभाषा के रूप में चुनना प्रशासन में एकरूपता लाने की एक सशक्त पहल रही है।

राजभाषा नीति का मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यो में हिंदी का व्यापक और प्रभावी प्रयोग सुनिश्चित करना है, जिससे आम नागरिक प्रशासन से सीधे जुड़ सकें और भाषा के कारण कोई दूरी न रह जाए। यह केवल भाषाई आग्रह नहीं, बल्कि सुशासन और भागीदारी का भी औजार है।

राजभाषा नीति को लागू करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निरंतर दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं। इसके अंगर्तत मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य है कि हिंदी को केवल अनुवाद की भाषा न मानकर उसे कार्य की मूल भाषा के रूप में अपनाया जाए।

आज देश के अनेक सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग बढ़ा है, और यह न केवल नीति की सफलता दर्शाता है, बल्कि भाषा के प्रति बदलते दृष्टिकोण की भी पुष्टि करता है। इस संदर्भ में, हमारी दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी की भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जहाँ हिंदी के प्रयोग को व्यवहार में उतारकर राजभाषा नीति के आदर्शों को साकार रूप दिया जा रहा है।

राजभाषा नीति का सारः

राजभाषा नीति भारत सरकार द्वारा निर्धारित वह दिशा-निर्देश है, जिसका उद्देश्य हिंदी भाषा को प्रशासनिक कार्यों में प्राथमिकता देना है। यह नीति संविधान की भावना का विस्तार है, जिसमें यह अपेक्षा की गई है कि केन्द्र सराकर अपने अधिकतर कार्य हिंदी में करेगी। इस नीति का उद्देश्य यह नहीं है कि अन्य भाषाओं को नकारा जाए, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि हिंदी को उसके यथोचित स्थान पर स्थापित किया जाए।

राजभाषा नीति का ढाँचा तीन क्षेत्रों पर आधारित है – क्षेत्र 'क', 'ख' और 'ग', जो हिंदी भाषी और गैर-हिंदी भाषी राज्यों के अनुसार वर्गीकृत है। प्रत्येक क्षेत्र कें लिए हिंदी के प्रयोग संबंधी अलग-अलग दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उदाहरणस्वरूप, क्षेत्र 'क' में हिंदी के प्रयोग की अपेक्षा सबसे अधिक है, जबकि क्षेत्र 'ग' में प्रगतिशील रूप से हिंदी का प्रयोग बढ़ाने की सलाह दी जाती है।

इस नीति के तहत 'कार्यसाधक ज्ञान' की अवधारणा को महत्व दिया गया है, जिसका अर्थ है कि सभी सरकारी कर्मियों को हिंदी में कार्य करने की पर्याप्त योग्यता होनी चाहिए। यह केवल अनुवाद आधारित प्रणाली नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रणाली है जो कर्मियों को हिंदी में सोचने, लिखने और संवाद करने के लिए प्रेरित करती है।

राजभाषा नीति के अंतर्गत केंद्र सरकार समय-समय पर विभिन्न अधिनियम, नियम और परिपत्र जारी करती है, जैसे कि राजभाषा अधिनियम 1963 और राजभाषा नियम 1976। इसके अलावा, हर वर्ष हिंदी दिवस (14 सितंबर) के अवसर पर विशेष कार्यक्रमों और पुरस्कारों के माध्यम से हिंदी के प्रति जागरूकता और उत्साह को बढ़ावा दिया जाता है।

इस प्रकार, राजभाषा नीति न केवल प्रशासनिक भाषा की दिशा में एक प्रयास है, बल्कि यह सामाजिक समरसता, लोकतांत्रिक संवाद और राष्ट्रभाषा के सम्मान का प्रतीक भी है।

क्रियान्वयन के मुख्य उपायः

राजभाषा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु केंद्र सरकार और उसके अधीनस्थ कार्यालयों में अनेक ठोस कदम उठाए जाते हैं। इन उपायों का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा को न केवल दैनंदिन कार्यों में शामिल करना है, बल्कि इसे सहज, स्वाभाविक और प्रभावी कार्य भाषा के रूप

में स्थापित करना भी है।

सबसे पहले, कार्यालयों में हिंदी कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन नियमित रूप से किया जाता है। इन कार्यक्रमों में कर्मचारियों को हिंदी में फाइल नोटिंग, रिपोर्ट लेखन, और ई-गवर्नेंस संबंधित कार्यों की जानकारी दी जाती है। यह प्रशिक्षण न केवल भाषा का ज्ञान बढ़ाता है, बल्कि आत्मविश्वास भी उत्पन्न करता है।

दूसरे, तकनीकी उपकरणों और सॉफ्टवेयरों में हिंदी की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। अब अनेक सरकारी पोर्टल, फाइलिंग सिस्टम, और रिपोर्टिंग टूल्स हिंदी में भी सहज रूप से उपलब्ध है। Unicode, हिंदी टाइपिंग सॉफ्टवेर (जैसे inscript, remington आदि) का प्रयोग भी बढ़ा है। इससे कर्मचारियों को तकनीकी काम हिंदी में करना सरल हुआ है।

तीसरे, प्रत्येक कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की जाती है, जो त्रैमासिक बैठकें कर हिंदी के प्रयोग की प्रगति समीक्षा करती है। इसके अलावा, हर त्रिमाही प्रगति रिपोर्ट (QPR) राजभाषा विभाग को भेजी जाती है, जिसमें हिंदी कार्यों की मात्रा, गुणवत्ता और प्रोत्साहन योजनाओं का उल्लेख होता है।

चौथे, हिंदी भाषा में कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने हेतु पुरस्कार योजनाएं चलाई जाती हैं। विभागीय राजभाषा प्रतियोगिताएं (निबंध, प्रश्नोत्तरी, नोटिंग, अनुवाद) से भाषा के प्रति रुचि जागृत होती है।

इन सभी उपायों का उद्देश्य यही है कि हिंदी को कार्यालयों की जीवंत भाषा बनाया जाए – न कि केवल फाइलों तक सीमित रखा जाए। जब कार्य संस्कृति में भाषा आत्मसात हो जाती है, तब उसका प्रयोग बाध्यता नहीं बल्कि स्वाभाविकता बन जाता है।

दीनदयाल पोर्ट अर्थोरिटी में राजभाषा का सफल क्रियान्वयन:

दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी (डीपीए) ने राजभाषा नीति के क्रियान्वयन में जो प्रयास किए हैं, वे अन्य संगठनों के लिए प्रेरणास्रोत बन सकते हैं। डीपीए ने यह सिद्ध किया है कि यदि इच्छाशक्ति हो और योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाए, तो हिंदी को कार्य की सजीव भाषा बनाया जा सकता है।

डीपीए में हिंदी के प्रयोग को केवल औपचारिकता तक सीमित नहीं रखा गया है। यहाँ नोटिंग-ड्राफ्ट, ईमेल और आंतरिक संप्रेषण में हिंदी का नियमित उपयोग किया जाता है। विशेष रूप से, नीति दस्तावेज, गाइडलाइन और नागरिकों को जारी किए जाने वाले निर्देश हिंदी में तैयार किए जा रहे हैं, जिससे जनसंपर्क की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ी है।

इसके अतिरिक्त, डीपीए ने सभी कर्मचारियों के लिए हिंदी टाइपिंग और अनुवाद प्रशिक्षण की व्यवस्था की है। कार्यालय में एक सुसज्जित पुस्तकालय, हिंदी शब्दावली सॉफ्टवेर और टर्मिनोलॉजी टूल्स उपलब्ध कराए गए हैं, जो हिंदी में तकनीकी कार्यों को सहज बनाते हैं।

डीपीए की राजभाषा कार्यान्वयन समिति न केवल त्रैमासिक समीक्षा करती है, बल्कि प्रत्येक विभाग को वार्षिक लक्ष्य भी निर्धारित करती है। समिति द्वारा नियमित कार्यशालाएं और कार्य-आधारित प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, जिससे कर्मचारियों की भागीदारी और जागरूकता में निरंतर वृद्धि हो रही है।

डीपीए ने यह सुनिश्चित किया है कि हिंदी को केवल भाषाई पहचान न मानकर उसे कार्य की उपयोगी भाषा बनाया जाए। इसी दृष्टिकोण से डीपीए ने अपनी वेबसाइट का हिंदी संस्करण जारी किया है, जो डेटा सुरक्षा जैसे जटिल विषय को सरल हिंदी में प्रस्तुत करता है।

इन सभी प्रयासों से स्पष्ट होता है कि डीपीए में राजभाषा नीति केवल कागज़ी दस्तावेज नहीं, बल्कि एक सजीव प्रशासनिक संस्कृति है।

चुनौतियाँ और समाधान:

राजभाषा नीति के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में अनेक प्रकार की व्यावहारिक चुनौतियाँ सामने आती है। इनका समाधान ढूंढना केवल एक प्रशासनिक आवश्यकता नहीं, बल्कि हिंदी को व्यवहार की भाषा बनाने का एकमात्र रास्ता है।

सबसे प्रमुख चुनौती है – तकनीकी शब्दावली की जटिलता। विशेषकर डेटा संरक्षण, साइबर सुरक्षा, और डिजिटल नीति जैसे क्षेत्रों में हिंदी शब्दों का प्रयोग करते समय कर्मचारी असहज अनुभव करते हैं। इसका कारण यह है कि तकनीकी शब्दों के हिंदी समतुल्य या तो जटिल होते हैं, या प्रचलन में नहीं होते। इसका समाधान यह है कि भाषा को शुद्धता से अधिक सहजता और प्रयोग की दृष्टि से विकसित किया जाए। सरल, बोलचाल की हिंदी को प्राथमिकता दी जाए।

दूसरी चुनौती है – हिंदी में कार्य करने में आत्मविश्वास की कमी। बहुत से कर्मी अंग्रेज़ी में दक्ष होते हैं, किंतु हिंदी में औपचारिक कार्य करने से हिचकते हैं। यह हिचक केवल अभ्यास और प्रोत्साहन से दूर हो सकती है। नियमित प्रशिक्षण, वरिष्ठों का समर्थन, और त्रुटियों को सहजता से स्वीकारने का वातावरण इसे बदल सकता है।

तीसरी चुनौती है – प्रेरणा की कमी। कई बार हिंदी कार्यों को अतिरिक्त दायित्व माना जाता है, जिससे स्वेच्छा की भावना में कमी आती है। इसका समाधान है – पुरस्कार प्रणाली, उत्सव के रूप में हिंदी दिवस जैसे आयोजनों को कर्मियों से जोड़ना, और हिंदी को केवल 'नीति' नहीं, बल्कि 'संस्कृति' के रूप में प्रस्तुत करना।

चौथी चुनौती है – डिजिटल युग में अंग्रेज़ी की प्रधानता। अनेक एप्लिकेशन, सॉफ्टवेयर और टूल्स अभी तो अंग्रेज़ी आधारित है। इसके लिए स्थानीयकृत तकनीक, हिंदी इंटरफेस और अनुवाद टूल्स को प्राथमिकता दी जाए।

इन सभी प्रयासों में नेतृत्व की भूमिका महत्वपूर्ण है। जब संगठन के वरिष्ठ अधिकारी हिंदी में कार्य करते हैं, तो यह प्रेरणा बनता है। इसी प्रकार जब संस्थान अपना आंतरिक मूल्यांकन हिंदी में करता हैं, तो यह भाषा केवल साधन नहीं बल्कि संगठन की पहचान बन जाती है।

राजभाषा नीति का उद्देश्य केवल एक संवैधानिक दायित्व का निर्वहन नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र की भाषिक आत्मा से जुड़ने का एक संकल्प है। यह नीति हमें यह अवसर देती है कि हम प्रशासनिक कार्यों में अपनी मातृभाषा का उपयोग करके न केवल सहजता प्राप्त करें, बल्कि आम नागरिकों के साथ संवाद को भी सरल और सजीव बनाएं।

हमने यह सिद्ध किया है कि नीति का प्रशासनिक संस्कृति में यदि समन्वय हो, तो भाषा कोई बाधा नहीं, बल्कि एक सेतु बन सकती है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि हम हिंदी को केवल उत्सवों और औपचारिकताओं में सीमित न रखें, बल्कि उसे अपने दैनिक कार्य की भाषा बनाएं। इसके लिए ना तो अत्यधिक संसाधनों की आवश्यकता है, न किसी दंडात्मक प्रणाली की। आवश्यकता है तो केवल दृष्टिकोण की – एक ऐसे दृष्टिकोण को जो हिंदी को 'राजभाषा' ही नहीं, 'कार्यभाषा' और 'संवाददाता' के रूप में देखे।

राजभाषा नीति का सफल क्रियान्वयन तभी संभव है जब भाषा को संस्थागत संस्कृति, नेतृत्व और जनसहभागिता का हिस्सा बनाया जाए।

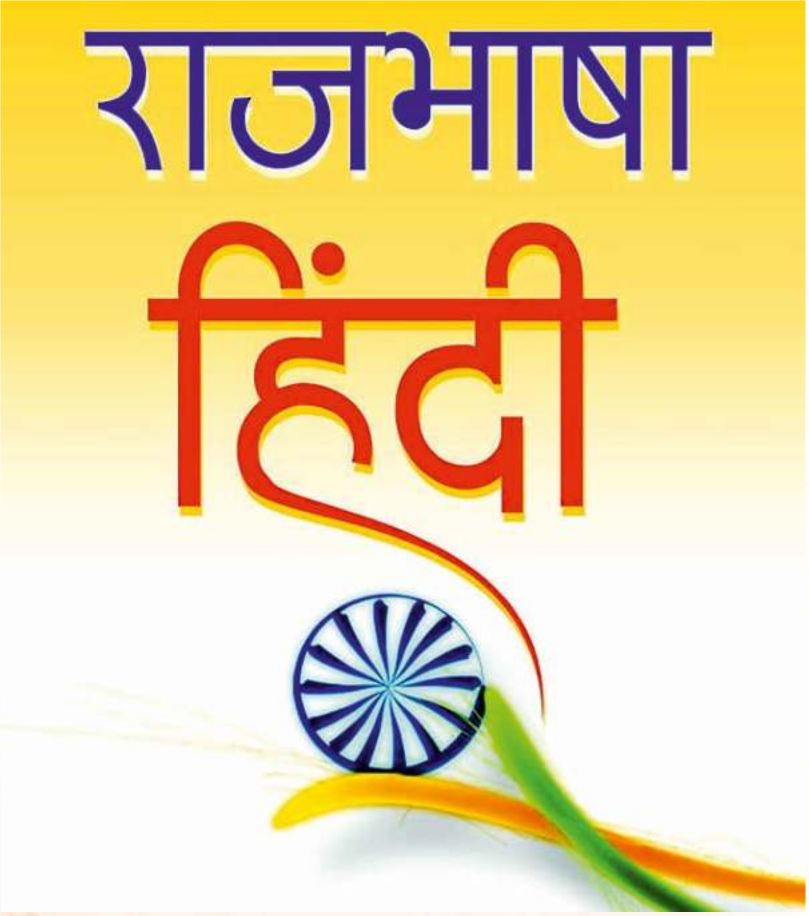

श्री दीपक रमाकांत राणे
उप सचिव,
सामान्य प्रशासन

बच्चों के लिए मोबाइल का इस्तेमाल क्यों हानिकारक है

आज की डिजिटल दुनिया में मोबाइल फोन एक ज़रूरत बन चुकी हैं, लेकिन जब बात बच्चों की हो, तो यह जरूरत जब ज़हर बन जाए, पता ही नहीं चलता। मोबाइल फोन का अत्यधिक उपयोग बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक विकास पर गहरा असर डाल रहा है। इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे मोबाइल कैसे बच्चों के लिए हानिकारक हो सकता है और इससे बचाव के उपाय क्या है।

1. शारीरिक स्वास्थ्य पर असर :

मोबाइल का लगातार इस्तेमाल बच्चों के शारीकि स्वास्थ्य पर सीधा असर डालता है। सबसे पहले तो आंखों की रोशनी प्रभावित होती है। लगातार स्क्रीन देखने में आंखो में जलन, धुंधलापन और ड्रायनेस जैसी समस्याएं बढ़ रही है। बच्चे जब मोबाइल पर घंटो झुके रहते हैं, तो उनकी गर्दन और रीढ़ की हड्डी पर भी असर पड़ता है। इस स्थिति को "टेक नेक" कहा जाता है। इसके अलावा, मोबाइल का अत्याधिक प्रयोग बच्चों की शारीरिक गतिविधियों को कम कर देता है, जिससे मोटापा और सुस्ती जैसी समस्याएं जन्म लेती हैं।

नींद पर भी इसका नकारात्मक असर होता है। देर रात तक मोबाइल चलाने से नींद की गुणवत्ता घटती है, जिससे बच्चा दिन भर थका हुआ और चिड़चिड़ा रहता है। स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी (ब्लू लाइट) मेलाटोनिन हॉर्मोन को दबा देती है, जो नींद को नियंत्रित करता है। इससे बच्चों की जैविक घड़ी (बायोलॉजिकल क्लॉक) भी बिगड़ जाती है।

बचपन वह समय होता है, जब शारीरिक विकास सबसे तेज़ गति से होता है। ऐसे में यदि शरीर को पर्याप्त आराम, पोषण और व्यायाम न मिले, तो इसका असर जीवन भर बना रह सकता है।

2. मानसिक और भावनात्मक प्रभाव :

मोबाइल का अत्यधिक उपयोग बच्चों के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी गहरे स्तर पर प्रभावित करता है। शुरुआत में तो मोबाइल पर गेम खेलना या वीडियो देखना उन्हें मनोरंजन की तरह लगता है, लेकिन धीरे-धीरे यह आदत एक मनोवैज्ञानिक निर्भरता में बदल जाती हैं। बच्चे जब मोबाइल से दूर होते हैं, तो उन्हें बेचैनी, चिड़चिड़ापन और गुस्सा आने लगता है। इसे डिजिटल डिटॉक्स के लक्षण भी कहा जाता है।

बच्चों का मस्तिष्क अभी विकास की अवस्था में होता है। इस दौरान उन्हें वास्तविक दुनिया से संपर्क, सामाजिक रिश्ते और भावनाओं की पहचान की ज़रूरत होती है। लेकिन, मोबाइल की स्क्रीन पर दिन-रात लगे रहने से उनकी भावनात्मक बुद्धिमता कमजोर पड़ जाती है। वे दूसरों की भावनाओं को समझने या साझा करने में असमर्थ हो जाते हैं।

इसके अलावा, मोबाइल पर दिखने वाली चमकदार दुनिया बच्चों की अपनी जिंदगी से असंतोष पैदा करती है। वे खुद को कमतर समझने लगते हैं, आत्मविश्वास में कमी आती है और कभी-कभी डिप्रेशन जैसी स्थिति भी पैदा हो सकती है। भावनात्मक अस्थिरता बच्चों को न केवल घर में बल्कि स्कूल और समाज में भी प्रभावित करती है। वे छोटी-छोटी बातों पर टूटने लगते हैं, उनके भीतर सहनशीलता की कमी आने लगती है। यह सब मिलकर उनके सम्पूर्ण विकास को धीमा कर देता है।

3. एकाग्रता और पढ़ाई पर असर

मोबाइल की दुनिया इतनी आकर्षक और व्यस्त कर देने वाली होती है कि बच्चे पढ़ाई से दूर होते चले जाते हैं। घंटो तक वीडियो गेम, यूटयूब वीडियो, इंस्टाग्राम रील्स या चैटिंग में उलझे रहने से बच्चों की एकाग्रता क्षीण हो जाती है। वे किसी भी विषय पर अधिक समय तक ध्यान केन्द्रित नहीं कर पाते। इससे उनकी पढ़ाई पर सीधा असर पड़ता है।

कई रिसर्च बताते हैं कि स्क्रीन पर लगातार ध्यान बनाए रखना मस्तिष्क को थका देता है और मल्टीटास्किंग की आदत एकाग्रता की गहराई को खत्म कर देती है। इसका नतीजा यह होता है कि बच्चा जब किताब खोलता है, तो मन वहाँ टिकता ही नहीं - हर थोड़ी देर में मोबाइल की याद सताने लगती है। मोबाइल पर आने वाली नोटिफिकेशन भी एक बड़ा बाधक बनती है। चाहे वह एक गेम का रिमाइंडर हो या किसी मित्र का मैसेज, यह बच्चे को पढ़ाई से बार-बार बाहर खींच लाता है। धीरे-धीरे, पढ़ाई का रूटीन टूट जाता है और स्कोर गिरने लगते

है।

इसके अलावा, बहुत से बच्चे पढ़ाई से बचने के लिए मोबाइल का सहारा लेते हैं। उन्हें पढ़ाई एक उबाऊ काम लगने लगता है जबकि मोबाइल एक मनोरंजक और आसान विकल्प दिखता है। यह आदत उन्हें मेहनत और अनुशासन से दूर ले जाती है। बचपन की पढ़ाई ही आगे के जीवन की नींव होती है। यदि यही समय मोबाइल की लत में जाया हो जाए, तो भविष्य की इमारत कमजोर पड़ सकती है। इसलिए बच्चों को मोबाइल से दूर एक स्वस्थ अध्ययन माहौल देना ज़रूरी है।

4. सामाजिक अलगाव ओर संवादहीनता :

मोबाइल ने जहां दुनियाभर से जुडना आसान बनाया है, वहीं असल जिंदगी में एक अजीब सी दूरी भी बढ़ा दी हैं – और बच्चों पर इसका असर सबसे गहरा होता है। मोबाइल के ज़रिए बच्चे आभासी दुनिया में तो घंटो सक्रिय रहते हैं, लेकिन अपने परिवार, दोस्तों और आसपास के लोगों से उनका सीधा संवाद घटता जाता है। धीरे-धीरे यह एक सामाजिक अलगाव का रूप ले लेता है।

बचपन का असली विकास आपसी बातचीत, खेल, हँसी-मज़ाक और भावनाओं की साझेदारी में होता है। जब बच्चा मोबाइल में डूबा रहता है, तो उसे न तो अपने माता-पिता की बातों में रुचि रहती है, न दोस्तों की शरारतों में। धीरे-धीरे वह बातचीत से कतराने लगता है। उसका सामाजिक आत्मविश्वास घटता है और कई बार वह अकेलापन महसूस करने लगता है, भले ही उसके पास लाखों वर्चुअल कनेक्शन हों। इसके अलावा, मोबाइल पर बिताया गया समय बातचीत की कला को भी प्रभावित करता है। बच्चे छोटे-छोटे मैसेज, इमोजी और चेट के जरिए संवाद करना सीखते हैं, जिससे उनके शब्द भंडार, भावों की अभिव्यक्ति और सुनने की क्षमता कमजोर होती है। वे नज़रें मिलाकर बात करने, किसी को ध्यान से सुनने या संवेदनशीलता से जवाब देने में असहज हो जाते हैं।

समाजशास्त्रियों का मानना है कि सामाजिक संबंधों की गुणवत्ता को तय करती है। एक ऐसा बच्चा जो संवादहीनता में फलता है, आगे चलकर टीमवर्क, मित्रता, नेतृत्व और सहयोग जैसे मानवीय गुणों में पिछड़ सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि बच्चों को मोबाइल की आभासी दुनिया से निकालकर वास्तविक जीवन के रिश्तों और संवादों से जोड़ा जाए। उन्हें समय दें, बात करें, उनके सवालों को सुनें और उन्हें परिवार और समाज का सक्रिय हिस्सा बनाएं – क्योंकि यही उन्हें एक सशक्त और भावनात्मक रूप से मजबूत इंसान बनाएगा।

5. व्यवहार में बदलाव और चिड़चिड़ापन :

मोबाइल फोन का अत्यधिक इस्तेमाल बच्चों के व्यवहार में नकारात्मक बदलाव लेकर आता है। जब बच्चें लगातार मोबाइल की स्क्रीन से जुड़े रहते हैं, तो उनकी मानसिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जिससे वे चिड़चिड़े, उत्तेजित और असहनीय हो जाते हैं। यह बदलाव न केवल घर में बल्कि स्कूल और सामाजिक जीवन में भी दिखाई देता है।

मोबाइल की वजह से बच्चों का धैर्य घटता है। वे छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करने लगते हैं और जल्दी झुंझला जाते हैं। अक्सर जब मोबाइल उपयोग पर रोक लगाई जाती है, तो बच्चे बेचैनी महसूस करते हैं, जो आक्रामक व्यवहार में बदल सकता है। इसे 'डिजिटल क्रेविंग' या 'मोबाइल की लत' भी कहा जाता है, जो एक तरह का मानसिक तनाव है। अधिक मोबाइल इस्तेमाल से बच्चों की नींद कम होती है ओर नींद की कमी भी उनके व्यवहार को प्रभावित करती है। वे ज्यादा थके हुए, अस्थिर और भावनात्मक रूप से असंतुलित हो जाते हैं। यह स्थिति उनके सीखने की क्षमता, सामाजिक व्यवहार और मनोदशा को भी प्रभावित करती है।

अध्ययन बताते हैं कि मोबाइल गेम्स और सोशल मीडिया पर होने वाली प्रतिस्पर्धा और तुलना से बच्चे तनाव और चिंता में भी फंस सकते हैं। वे अक्सर अपने आप को दूसरों में कमतर महसूस करते हैं, जिससे उनका आत्मसम्मान गिरता है। मोबाइल की लत से बचना और व्यवहार का नियंत्रित रखना बच्चों के लिए भी एक जरूरी जीवन कौशल बन गया है।

इसलिए माता-पिता और शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों को मोबाइल के सीमित और नियंत्रित उपयोग की आदत डालें, उन्हें व्यायाम, खेल और रचनात्मक गतिविधियों की ओर प्रेरित करें, ताकि उनका मन ओर व्यवहार स्वस्थ रह सके।

6. नींद की कमी और उसकी गंभीरता

बच्चों के लिए पर्याप्त और अच्छी नींद होना उनकी सेहत और विकास के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन मोबाइल का देर रात तक उपयोग उनकी नींद चक्र को बुरी तरह प्रभावित करता है। स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी (ब्लू लाइट) मेलाटोनिन नामक हार्मोन को दबा देती है, जो नींद आने में मदद करता है। इसके कारण बच्चों को नींद आने में देरी होती है और नींद की गुणवत्ता घट जाती है।

नींद की कमी से बच्चों का दिमाग ठीक से काम नहीं करता। वे दिनभर थके-थके और ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ महसूस करते

हैं। इससे पढ़ाई, याददाश्त और समस्या सुलझाने की क्षमता पर बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा, नींद कम होने से बच्चों में चिड़चिड़ापन और मूड स्विंग्स भी बढ़ जाते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि लगातार नींद की कमी से बच्चों में मधुमेह, मोटापा और दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। इसलिए मोबाइल को सोने से कम से कम एक घंटा पहले बंद कर देना चाहिए।

माता-पिता और शिक्षक बच्चों को नींद की अहमियत समझांए और उन्हें मोबाइल का सही समय का उपयोग करना सिखाएं। बच्चों के सोने का समय निश्चित करें और सोने से पहले मोबाइल टीवी का अन्य स्क्रीन से दूर रहने की आदत डालें। इससे न केवल उनकी नींद बेहतर होगी, बल्कि उनका पूरा स्वास्थ्य और मनोदशा भी सुधरेगी।

7. सामाजिक संबंधो पर प्रभाव

मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल बच्चों के सामाजिक रिश्तों पर गहरा असर डालता है। जब बच्चे मोबाइल स्क्रीन में लगे रहते हैं, तो वे अपने परिवार और दोस्तों से कम बातचीत करते हैं। उनकी असली दुनिया से दूरी बढ़ने लगती है, जिससे सामाजिक कौशल कमजोर हो जाते हैं।

बच्चों को बचपन से ही दूसरों से बातचीत, साझा करना और समझना सीखना चाहिए। ये बाते उनकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को मजबूत बनाती हैं और स्वस्थ सामाजिक विकास में मदद करती हैं। लेकिन मोबाइल की लत में ये सब कम हो जाता है। वे अक्सर अकेलेपन और अलगाव का अनुभव करते हैं, जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है।

यहां तक कि कई बच्चे सोशल मीडिया पर जुड़े रहने के बावजूद असली जीवन में सामाजिक एकाकीपन महसूस करते हैं। वे खुद को असहाय या अलग-थलग समझने लगते हैं। इस वजह से उनमें आत्मविश्वास की कमी, उदासी और कभी-कभी डिप्रेशन भी विकसित हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि माता-पिता बच्चों को मोबाइल के सीमित उपयोग के साथ-साथ बाहर खेलना, बातचीत करना और परिवार के साथ समय बिताना सिखाएं। इससे उनके सामाजिक रिश्ते मजबूत होंगे और वे खुशहाल जीवन जी पाएंगे।

8. शैक्षिक विकास में बाधा :

मोबाइल का अत्यधिक उपयोग बच्चों के शैक्षिक विकास में बाधा डालता है। जब बच्चे पढ़ाई के समय मोबाइल पर व्यस्त होते हैं, तो उनकी सीखने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। मोबाइल की स्क्रीन की चमक, नोटिफिकेशन की आवृत्ति और मनोरंजन के विकल्प बच्चों का ध्यान पढ़ाई से हटाकर मोबाइल की ओर खींच लेते हैं।

शिक्षा के शुरुआती दौर में बच्चों का दिमाग जानकारी ग्रहण करने की सबसे अधिक क्षमता रखता है। लेकिन जब वे मोबाइल के जाल में फंस जाते हैं, तो उनकी स्मृति और समझने की शक्ति कम हो जाती है। परिणामस्वरूप, वे अपने स्कूल के विषयों में कमजोर पड़ते हैं, ग्रेड कम आते हैं और उनकी अकादमिक प्रगति धीमी हो जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि मोबाइल का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल बच्चों में आलस्य बढ़ाता है और उन्हें मुश्किल विषयों का सामना करने से भागने की आदत डालता है। इसके बजाय, बच्चों को पढ़ाई के लिए एक शांत और मोबाइल मुक्त वातावरण दिया जाना चाहिए ताकि वे पूरी एकाग्रता के साथ सीख सकें।

माता-पिता और शिक्षक मिलकर बच्चों को मोबाइल के सीमित उपयोग की आदत डालें, उन्हें समय प्रबंधन सिखाएं और पढ़ाई के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करें। इससे बेहतर सीख पाएंगे और उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाएंगे।

9. सामाजिक कौशल में गिरावट :

मोबाइल का अत्यधिक इस्तेमाल बच्चों के सामाजिक कौशल को कमजोर करता है। बचपन वह दौर होता है जब बच्चे बोलना, सुनना, बातचीन करना, अपने विचार साझा करना और दूसरों की भावनाओं को समझना सीखते हैं। लेकिन जब वे दिनभर मोबाइल की स्क्रीन में डूबे रहते हैं, तो ये जीवन के ज़रूरी हुनर उनसे छिनने लगते हैं।

मोबाइल बच्चों को एक आभासी दुनिया में बंद कर देता है, जहाँ वे केवल अपनी पसंद के कंटेंट से घिरे रहते हैं। इस एकतरफा अनुभव में ना तो वे किसी की बात सुनते हैं, ना अपनी बात सही ढंग से रखते हैं। परिणामस्वरूप उनके भीतर संवाद कौशल का विकास नहीं हो पाता। इसके साथ ही, मोबाइल बच्चों को खेल के मैदान, दोस्तों की मंडली और पारिवारिक बातचीत से दूर कर देता है। वे अकेले रहना पसंद करने लगते हें, जिससे अंततः उन्हें सामाजिक मेलजोल में हिचकिचाहट और डर लगने लगता है।

समाज में आत्मविश्वास से खड़ा होना, अपनी बात प्रभावशाली ढंग से कहना, दूसरों की बात समझना - ये सभी गुण बचपन से ही विकसित होते हैं। लेकिन मोबाइल इन सबका विकल्प नहीं बन सकता। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों को डिजिटल दुनिया से बाहर निकालकर असली जीवन में जोड़ने की पहल की जाए - जहाँ वे इंसान से इंसान जुड़ना सीखें।

10. बचपन की मासूमियत और रचनात्मकता पर हमला :

मोबाइल फोन का सबसे गहरा और शायद सबसे दर्दनाक असर बच्चों की मासूमियत और उनकी रचनात्मकता पर पड़ता है। वह बचपन जो कभी मिट्टी में खेलकर, खिलौनों से कहानियाँ बनाकर और दोस्तों के संग हँसी-ठिठोली में बीतता था - अब स्क्रीन की रोशनी में खोने लगा है।

बच्चे स्वभाव से कल्पनाशील होते हैं। वे एक डंडी को तलवार बना सकते हैं, गत्ते के डिब्बे से घर बना सकते हैं और किसी कहानी को अपनी कल्पना से जादुई बना सकते हैं। लेकिन मोबाइल स्क्रीन पर पहले से परोसे गए विजुअल्स, गेम्स और कंटेंट उनकी कल्पनाशक्ति को सीमित कर देते हैं। उन्हें सोचने, कल्पना करने और नया बनाने का अवसर ही नहीं मिल पाता।

रचनात्मकता केवल कला तक सीमित नहीं होती - यह समस्याओं को सुलझाने, निर्णय लेने और खुद को व्यक्त करने की शक्ति भी देती है। मोबाइल के एक क्लिक में सब कुछ उपलब्ध होने से बच्चों को सोचने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। धीरे-धीरे उनकी जिज्ञासा मरने लगती है और वे केवल उपभोक्ता बनकर रह जाते हैं। इसके साथ ही, जब बच्चा लगातार आभासी दुनिया में रहता है, तो उसका ध्यान आसपास की छोटी-छोटी खुशियों और अनुभवों से हटने लगता है। पत्तियों की सरसराहट, बारिश की बूंदे, मिट्टी की खुशबू - ये सब उसके अनुभव से बाहर हो जाते हैं। यही अनुभव हैं जो जीवन की संवेदनशीलता और सृजनशीलता को जन्म देते हैं। इसलिए, यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जीवन को महसूस करें, सवाल करें, कल्पना करें और कुछ नया गढ़े - तो हमें उनके हाथ से मोबाइल हटाकर, उनके सामने असली दुनिया का दरवाज़ा खोलना होगा।

बच्चों को लौटाना होगा उनका बचपन :

मोबाइल फोन तकनीक का वरदान है, पर जब यह बच्चों के हाथों में बिना नियंत्रण के पहुँचता है, तो यह वरदान अभिशाप में बदल सकता है। हमने इस लेख में देखा कि कैसे मोबाइल का अत्यधिक उपयोग बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन, सामाजिक व्यवहार, अध्ययन क्षमता, भावनात्मक स्थिरता और सबसे बढ़कर उनकी मासूमियत और रचनात्मकता पर नकारात्मक असर डालता है।

बचपन वह नींव है, जिस पर जीवन की पूरी इमारत खड़ी होती है। यदि इस नींव को ही स्क्रीन की लत, त्वरित मनोरंजन और आभासी दुनिया के भ्रम में कमजोर कर दिया जाए, तो आने वाली पीढ़ी सोचने, समझने और सहानुभूति रखने की क्षमता खो देगी। हमें यह समझना होगा कि मोबाइल से बच्चों को पूरी तरह अलग करना व्यावहारिक नहीं है, लेकिन विवेकपूर्ण सीमाएँ ज़रूर तय की जा सकती हैं। माता-पिता, शिक्षक और समाज को मिलकर ऐसा माहौल बनाना होगा, जहाँ बच्चे वास्तविक दुनिया में जीना सीखें - खेलें, दौड़े, गिरें, उठें, कल्पना करें ओर रिश्तों की गहराई को महसूस करें।

जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था,"हम जिस प्रकार का संसार अपने बच्चों को देगें, वे उसी प्रकार के मनुष्य बनेंगे।" तो क्यों न उन्हें एक ऐसा संसार दें जिसमें मोबाइल नहीं, बल्कि संवेदना, रचना और सच्चे अनुभवों की चमक हो। आइए, हम सब मिलकर बच्चों को उनका बचपन लौटाएँ - एक ऐसा बचपन, जो उनके भविष्य को उजाला दे सके।

समय जो गया, वो फिर हाथ नहीं आता

श्री शैलेंद्र कुमार पाण्डेय
वरिष्ठ सहायक सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग

कहा जाता है कि पैसा कमाया जा सकता है, रिश्ते दोबारा बन सकते हैं, लेकिन समय एक बार हाथ से फिसला, तो लौटकर नहीं आता। दफ्तर की ज़िन्दगी में यह सच और भी ज़्यादा मायने रखता है। सभी को दिन के 24 घंटे ही मिलते हैं, लेकिन जो इन घंटो को समझदारी से इस्तेमाल करता है, वही अपने काम और जीवन में असली तरक्की करता है।

ऑफिस में कभी ईमेल का जवाब देना होता है, कभी मीटिंग में बैठना, तो कभी किसी आकस्मिक काम में उलझ जाना पड़ता है। अगर आपके पास समय को बाँधने की योजना नहीं है, तो जल्द ही आप उसकी गिरफ्त में आ जाते हैं। इसलिए समय को संसाधन नहीं, बल्कि पूँजी की तरह समझना ज़रूरी है।

जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, 'समय वो चीज़ है, जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, पर हम सबसे ख़राब तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं।'

कामयाब लोग ज़रूरी कामों को पहले करते हैं, फालतू की बातों में नहीं उलझते और जानते हैं कि कब 'न' कहना है। असल में, समय की समझ ही आत्म-समझ की पहली सीढ़ी है।

1. योजना साफ़ हो, तो रास्ता भी आसान होता हैः

हर सुबह अगर हम यह तय कर लें कि आज क्या सबसे ज़रूरी है, तो आधी लड़ाई हम पहले ही जीत लेते हैं। दफ्तर में सफल वही होता है, जो अपने समय को योजनाबद्ध तरीके से खर्च करता है, न कि हालात के हिसाब से बहता जाता है।

सही योजना बनाना मतलब बस एक लिस्ट बनाना नहीं है, बल्कि यह तय करना है कि कब, क्या और क्यों करना है। छोटे-छोटे टूल्स जैसे 'टू-डू लिस्ट', पोस्ट-इट नोट या डिजिटल कैलेंडर आपके दिन को सुलझा सकते हैं।

योजना आपको नियंत्रण देती है - अपने दिन पर, अपने मन पर और अपनी ऊर्जा पर । और जब यह नियंत्रण आपके हाथ में होता है, तब आपके निर्णय सटीक होते हैं और परिणाम उत्कृष्ट आते हैं।

2. तनाव घटे, मन शांत रहेः

काम के बोझ से ज्यादा तनाव उसकी अव्यवस्था से आता है। जब हर चीज आखिरी वक्त पर करने की आदत बन जाती है, तो सिर पर हमेशा कोई न कोई तलवार लटकती रहती है। न नींद चैन से आती है, न काम में मन लगता है।

मगर अगर समय का सही प्रबंधन हो, तो काम समय पर होता है, और दिमाग भी सुकून में रहता है। इस सुकून का असर आपकी सेहत, निर्णय और रिश्तों पर भी दिखता है।

कल्पना कीजिए - जब आप दिन के अंत में ये कह सकें कि,"आज का दिन सार्थक रहा," तो उस शांति का कोई मूल्य नहीं होता। यही है समय प्रबंधन की असली कमाई।

3. समय का सम्मान - पेशेवर छविः

दफ्तर में आपकी पहचान सिर्फ आपकी योग्यता से नहीं, बल्कि आपके समय के प्रति रवैये से भी बनती है। जो लोग हर मीटिंग में समय पर पहुँचते हैं, काम की डेडलाइन से पहले काम सौंपते हैं और फालतू बहानों से दूर रहते हैं, उन्हें ही लोग

जिम्मेदार और भरोसेमंद मानते हैं।

जब आप समय का आदर करते हैं, तो दूसरे भी आपका आदर करते हैं। और यही आदर आगे चलकर अवसरों के दरवाज़े खोलता हैं - नए प्रोजेक्ट, प्रमोशन और नेतृत्व के मौके। मशहूर वैज्ञानिक एवं भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्जुल कलाम जी का कथन है,**"समय मुफ़्त है, पर बेशकीमती है। आप उसे पकड़ नहीं सकते, लेकिन खर्च ज़रूर कर सकते है।"**

समय की पाबंदी सिर्फ़ आदत नहीं, एक आदर्श बन जाती है - जो आपकी साख का हिस्सा बनती है।

4. समय बचाओ, तो आगे बढ़ने का रास्ता मिलेः

अगर दिनभर की भागदौड़ में इंसान सिर्फ़ ईमेल और छोटी-छोटी समस्याओं में ही उलझा रहे, तो वह कभी अपने कौशल को बढ़ाने या कुछ नया सीखने की तरफ देख भी नहीं पाता। समय प्रबंधन वही गुंजाइश बनाता है, जहाँ विकास की शुरूआत होती है।

जब रोजमर्रा के काम व्यवस्थित हों, तब ही इंसान किसी ट्रेनिंग में हिस्सा ले सकता है, कोई नई भाषा या तकनीक सीख सकता है, या नए प्रोजेक्ट में भाग ले सकता है। शिक्षाविद एवं **भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते हैं, "या तो आप दिन को चलाइए, या दिन आपको चला देगा।"**

सीखना, बढ़ना और खुद को बेहतर बनाना केवल इरादा नहीं, समय की उपलब्धता भी माँगता है। और यही समय मिलता है जब हम अपने कामों को सोच-समझकर तय करते हैं। समय प्रबंधन दरअसल हमारे भविष्य को दिशा देने का सबसे ठोस तरीका है।

5. काम और जिन्दगी के बीच संतुलनः

जब दफ्तर का समय असंतुलित होता है, तो उसका असर घर तक पहुँचता है। देर तक रुकना, तनाव में रहना, और निजी जीवन से कट जाना - ये सब समय की अनदेखी का परिणाम होते हैं।

इसके उलट, जो अपने दफ्तर का समय व्यवस्थित रखते हैं, वे न सिर्फ अपने परिवार के लिए समय निकाल पाते हैं, बल्कि अपने शौक, स्वास्थ्य ओर आत्मिक संतुलन के लिए भी वक्त निकाल लेते है। चाणक्य की पंक्ति याद आती है - **"जिन्दगी कमाने में इतना न उलझो कि जिन्दगी जीना ही भूल जाओ।"**

काम में लगन अच्छी है, लेकिन जिन्दगी में ठहराव और अपनापन भी उतना ही जरूरी है। और ये दोनों साथ तभी चलते हैं जब समय का संतुलन बना रहे।

अंतिम बात - समय की वह नदी है, जिसमें जिन्दगी बहती है

समय प्रबंधन कोई तकनीकी अभ्यास नहीं, वह जीवन दर्शन है, यह हमें रोज़ाना की भागदौड़ में न केवल दिशा देता है, बल्कि शांति, संतुलन और सफलता की सीढ़ियाँ भी बनाता है।

जब आप अपने दिन की योजना खुद तय करते हैं, तो आप केवल समय को नहीं - अपने जीवन को आकार दे रहे होते हैं।

तो चलिए, आज से शुरुआत करते हैं - ऐसा जीवन जीने की, जहाँ काम के साथ-साथ सुकून भी हो, लक्ष्य के साथ-साथ संतुलन भी।

श्री नितिन सिंह तोमर
हिंदी अधिकारी एवं
संपादक

हाशिये से मुख्यधारा तक भारत के भविष्य को आकार देने में महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 का महत्त्व

भारत में महिला आरक्षण का ऐतिहासिक संदर्भ:-

भारत में महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग स्वतंत्रता-पूर्व युग से चली आ रही है, जब महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया था। सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट जैसी नेताओं ने सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में महिलाओं को अधिक से अधिक शामिल करने की वकालत की। स्वतंत्रता के बाद, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने महिलाओं की समानता के महत्त्व को पहचाना और उन्हें पुरुषों के समान ही वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार दिया। हालाँकि, यह कानूनी समानता विधायी निकायों में महत्त्वपूर्ण प्रतिनिधित्व में तब्दील नहीं हुई।

पिछले दशकों में, संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलओं के लिए सीटें आरक्षित करने की मांग ने जोर पकड़ा। यह मुद्दा पहली बार वर्ष 1974 में केंद्र में आया, जब भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति ने राजनीति और शासन में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व पर प्रकाश डाला। वर्ष 1993 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करके एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया, जिसने राजनीतिक समावेश के लिए एक मिसाल कायम की।

संसद और राज्य विधानसभाओं में भी इसी तरह के आरक्षण लागू करने के प्रयास 1990 के दशक में शुरू हुए थे। वर्ष 1996 में पहली बार पेश किए गए महिला आरक्षण विधेयक में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव था। हालाँकि, राजनीतिक विरोध, मौजूदा सत्ता संरचनाओं को बाधित करने की आशंकाओ और हाशिए पर पड़े समूहों के लिए उप-आरक्षण पर बहस के कारण विधेयक को महत्वपूर्ण, बाधाओं का सामना करना पड़ा। वर्ष 1998, 1999 और 2008 में बार-बार पेश किए जाने के बावजूद रुका रहा।

वर्ष 2023 में महिला आरक्षण अधिनियम का पारित होना एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुआ, जिसने भारतीय राजनीति में लैंगिक समानता के लिए दशकों से चली आ रही वकालत और संघर्ष को दूर किया।

महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 की मुख्य विशेषताएँ:-

महिला आरक्षण अधिनियम, 2023, भारतीय राजनीति में लैंगिक समानता को बढ़ाने के उदेश्य से एक ऐतिहासिक कानून है। यह ऐतिहासिक कानून है। यह ऐतिहासिक अधिनियम लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करता है, जो लैंगिक-समावेशी शासन की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

मुख्य प्रावधान:

- **आरक्षण प्रतिशत :** लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में कुल सीटों में से एक तिहाई (33%) महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें शामिल हैं, ताकि सामाजिक स्तर पर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके।
- **अवधि:-** अधिनियम में यह अनिवार्य किया गया है कि आरक्षण को इसके लागू होने से 15 वर्षों तक लागू किया जाएगा, जिसमें इसके प्रभाव का आकलन करने के लिए समीक्षा का प्रावधान है।
- **कार्यान्वयन:-** प्रत्येक परिसीमन अभ्यास के बाद आरक्षित सीटों को घुमाया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों में समय के साथ महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए समान अवसर हों।

- अधिनियम का दायरा:- हालाँकि, यह अधिनियम मुख्य रूप से राष्ट्रीय और राज्य विधानसभाओं पर केन्द्रित है, लेकिन यह वर्ष 1993 के 73वें और 74 वें संविधान संशोधन द्वारा स्थापित द्वारा स्थापित ढांचे पर आधीरत है, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान किया गया था। इस अधिनियम से महिलाओं को नीति निर्माण और शासन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सशक्त बनाकर परिवर्तनकारी बदलाव लाने की उम्मीद है। यह पारंपरिक बाधाओं और पितृसत्तात्मक संरचनाओं को खत्म

करने का प्रयास करता है, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व में बाधा डाली है। शासन के उच्च स्तरों पर लैंगिक समावेशिता को संस्थागत बनाकर, महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 का उद्देश्य भारत में अधिक न्यायसंगत और प्रतिनिधि राजनीतिक परिदृश्य बनाना है।

भारतीय लोकतंत्र के लिए अधिनियम का महत्त्वः-

महिला आरक्षण अधिनियम, 2023, भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में एक मजबूत आवाज देकर लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाता है। ऐतिहासिक रूप से, राजनीति में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व ने उनकी नीतियों ओर कार्यक्रमों को प्रभावित करने की क्षमता को सीमित कर दिया है, जो सीधे उनके जीवन को प्रभावित करते हैं। यह अधिनियम महिलाओं को नीति निर्माण में अपने अनूठे दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं को लाने का अधिकार देता है, जिससे सामाजिक मुद्दो की व्यापक समझ के साथ शासन समृद्ध होता है।

महिला नेता अक्सर सामाजिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और लिंग-संवेदनशील नीतियों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करती हैं, जो लोक कल्याण में महत्त्वपूर्ण अंतराल को दूर करती हैं। उनकी बढ़ी हुई भागीदारी से ऐसी नीतियाँ बनने की संभावना है, जो हाशिए पर पड़े और वंचित समुदायों की ज़रूरतों को दर्शाती है। वैश्विक और स्थानीय स्तर पर किए गए अध्ययनों से पता चला है कि शासन में महिलओं की भागीदारी से लोक प्रशासन से अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता आती है।

पारंपरिक बाधाओं और पितृसत्तात्मक मानदंडो को तोड़कर, यह अधिनियम सांस्कृतिक बदलाव को भी प्रेरित करता है, जिससे अधिक महिलाओं को सार्वजनिक जीवन और नेतृत्व की भूमिकाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह लहर प्रभाव राजनीति से परे तक फैला हुआ है, जो लैंगिक समानता को अपनाने के लिए अन्य क्षेत्रों को प्रभावित करता है।

अंततः यह अधिनियम भारत के लोकतंत्र को मज़बूत करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। आधी आबादी का अधिक न्यायसंगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करके, यह न केवल समानता के संवैधानिक वादे को पूरा करता है, बल्कि अधिक समावेशी और प्रगतिशील समाज का मार्ग भी प्रशस्त करता है।

- महिला सशक्तिकरण पर प्रभावः-

महिला आरक्षण अधिनियम, 2023, अधिक राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देकर भारत में महिला सशक्तिकरण में क्रांति लाने की क्षमता रखता है। जब महिलाएँ निर्णय लेने वाले पदों पर होती हैं, तो इससे सामाजिक संरचनाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, जो उनके सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक सशक्तिकरण को प्रभावित करते हैं।

- **सामाजिक सशक्तिकरणः** नेतृत्व की भूमिकाओं में महिलाएँ रोल मॉडल के रूप में काम करती हैं, गहरी जड़े जमाए हुए लैंगिक मानदंडो को चुनौती देती हैं और अन्य महिलाओं को सार्वजनिक और पेशेवर भूमिकाएँ निभाने के लिए प्रेरित करती हैं। राजनीति में अधिक प्रतिनिधित्व महिलाओं की आवाज़ को बुलंद करता है, यह सुनिश्चित करता है कि लिंग आधारित हिंसा , स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दों को तत्परता और संवेदनशीलता के साथ संबोधित किया जाए।
- **आर्थिक सशक्तिकरणः** बढ़े हुए राजनीतिक प्रतिनिधित्व से अक्सर नीतिगत सुधार होते हैं, जो महिलाओं की शिक्षा, रोजगार और वित्तीय संसाधनों तक पहुँच को बढ़ावा देते हैं। महिला नेता बुनियादी ढाँचे में निवेश को प्राथमिकता देती हैं, जो परिवारों को लाभ पहुँचाती है, जैसे कि स्वास्थ्य सेवा और बाल देखभाल सुविधाएँ, जिससे समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है।
- **सांस्कृतिक सशक्तिकरताः** महिलाओं की राजनीतिक दृश्यता उनकी क्षमताओं के बारे में सांस्कृतिक रूढियों को तोड़ती है, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देती है। यह युवा पीढ़ी में नेतृत्व की भूमिकाएं तलाशने का आत्मविश्वास भी पैदा करता है, जो दीर्घकालिक सांस्कृतिक परिवर्तन में योगदान देता है।
- **केस स्टडीज़ः** बिहार जैसे राज्य, जहाँ पंचायती राज संस्थाओं ने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू किया है, महिला नेताओं के परिवर्तनकारी प्रभाव के सम्मोहक सबूत पेश करते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि महिला सरपंचो वाले गाँवो में सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार हुआ है, खासकर स्वच्छता, जल आपूर्ति और शिक्षा में। पश्चिम बंगाल में, इसी तरह के आरक्षणों ने स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया, जिससे ज़मीनी स्तर के मुद्दों से प्रभावी ढंग से निपटने की उनकी क्षमता का प्रदर्शन हुआ। इस प्रकार, महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 केवल एक राजनीतिक सुधार नहीं है, यह समग्र सशक्तिकरण के लिए उत्प्रेरक है, जो महिलाओं के लिए जीवन के सभी आयामों में आगे बढ़ने के रास्ते बनाता है।

चुनौतियाँ और आलोचनाएँ :-

हालाँकि, महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसके कार्यान्वयन और प्रभाव

को कई चुनौतियों और आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है।

एक महत्त्वपूर्ण चिंता प्रतीकात्मकता का जोखिम है, जहाँ महिलाओं को सत्ता के पदों पर रखा जा सकता है, लेकिन निर्णय लेने में उनका वास्तविक प्रभाव नहीं होता है। कई मामलों में, विशेष रूप से पितृसत्तात्मक सोच में, महिला प्रतिनिधियों को पुरूष परिवार के सदस्यों या स्थानीय राजनीतिक नेताओं के लिए प्रॉक्सी के रूप में माना जाता है, जिससे उनकी स्वायत्तता और अधिकार कम हो जाते हैं।

राजनीतिक दलों और समाज के भीतर पितृसत्तात्मक संरचनाएँ एक और चुनौती पेश करती हैं। औपचारिक आरक्षण के बावजूद महिलाएँ अक्सर प्रभावी राजनीतिक भागीदारी के लिए आवश्यक संसाधनों, नेटवर्क ओर समर्थन तक पहुँचने के लिए संघर्ष करती हैं। ये गहरे सामाजिक मानदंड अधिनियम की परिवर्तनकारी क्षमता में बाधा डाल सकते हैं।

परिसीमन और अन्य प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं पर निर्भरता को देखते हुए कार्यान्वयन में देरी की भी आशंका है। ऐसी देरी अधिनियम के तत्काल प्रभाव को कम कर सकती है, जिससे ऐतिहासिक सुधार के रूप में इसका महत्त्व कम हो सकता है।

आलोचकों का तर्क है कि यह अधिनियम जाति, वर्ग और धर्म जैसे अंतर्विरोधी मुद्दों को संबोधित किए बिना लिंग-आधारित आरक्षण को प्राथमिकता देकर अनजाने में पहचान की राजनीति को बढ़ावा दे सकता है। कुछ का तर्क है कि यह समावेशिता को बढ़ावा देने के बजाय विभाजन को मज़बूत कर सकता है।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम की समयबद्ध प्रकृति के बारे में सवाल उठाए गए हैं। जबकि 15 वर्ष का आरक्षण एक मिसाल कायम कर सकता है, इस बात को लेकर चिंता हुई है कि क्या यह अवधि महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सामान्य बनाने के लिए पर्याप्त है या इसके बंद होने से प्रगति उलट सकती है।

इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए व्यवस्थित सुधारों की आवश्यकता है, जैसे कि महिला नेताओं के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम, पितृसत्तात्मक पूर्वाग्रहों का मुकाबला करने के लिए जागरूरकता अभियान और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए तंत्र, यह सुनिश्चित करना कि अधिनियम का वास्तविक लैंगिक समानता और सशक्तिकरण का वादा पूरी तरह से साकार हो।

वैश्विक स्तर पर लागू प्रथाओं के साथ तुलनाः-

महिला आरक्षण अधिनियम, 2023, सकारात्मक कार्रवाई के माध्यम से राजनीतिक प्रतिनिधित्व में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के वैश्विक प्रयासों के साथ संरेखित है। कई देशों ने शासन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए लैंगिक कोटा सफलतापूर्वक लागू किया है, जो भारत के लिए मूल्यवान सबक है।

रवांडा जैसे देश ने, जो संसद में महिलाओं के लिए 30% आरक्षित सीटें अनिवार्य करते हैं, उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त किए हैं, जहाँ महिलाओं ने 60% से अधिक संसदीय पदों पर कब्ज़ा किया है। रवांडा का मॉडल दर्शाता है कि कैसे अच्छी तरह से संरचित कोटा प्रतिनिधित्व को बदल सकता है और शासन को प्रभावित कर सकता है। इसी तरह, नॉर्वे ने कॉर्पोरेट बोर्डों के लिए लैंगिक कोटा अनिवार्य किया है, जो ऐसी नीतियों के व्यापक अनुप्रयोग को प्रदर्शित करता है।

स्वीडन और फ़िनलेन्ड में, राजनीतिक दल विधायी जनादेश के बिना प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देते हुए स्वेच्छा से लौंगिंक कोटा अपनाते है। यह अभ्यास समावेशिता सुनिश्चित करने में राजनीतिक इच्छाशक्ति के महत्त्व को उजागर करता है। दूसरी ओर, फ्रांस ने समानता कानून बनाए हैं, जिसमें चुनावी सूचियों में पुरुषों और महिलाओं के समान प्रतिनिधित्व की आवश्यकता होती है, जो लैंगिक असंतुलन को दूर करने के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण को प्रदिर्शत करता है।

महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 वैश्विक प्रथाओं से अलग है, क्योंकि यह केवल विधायी निकायों पर ध्यान केन्द्रित करता है। रवांडा जैसे देशों के विपरीत, जहाँ व्यापक रूप से लागू होता है, भारत का कानून कैबिनेट पदों या निजी क्षेत्रों तक विस्तारित नहीं है, जिससे समग्र लैंगिक समानता में सुधार की गुंजाइश बनी हुई है।

भारत महिला नेताओं के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों पर जोर देकर इन वैश्विक अनुभवों से सीख सकता है, यह सुनिश्चित करके कि वे नीतियों को प्रभावी ढंग से प्रभावित करने में सक्षम हैं। कार्यान्वयन की निगरानी के लिए जवाबदेही तंत्र अपनाना और पितृसत्तात्मक प्रतिरोध का मुकाबला करने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाना भी महत्वपूर्ण है।

स्थानीय चुनौतियों का समाधान करते हुए सिद्ध वैश्विक प्रथाओं के साथ अपने दृष्टिकोण को संरेखित करके, भारत महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 की परिवर्तनकारी क्षमता को अधिकतम कर सकता है, जिससे लैंगिक समानता में सतत प्रगति सुनिश्चित हो सके।

नीति और शासन में महिलाओं की भूमिकाः

महिला नेता नीति और शासन में एक परिवर्तनकारी भूमिका निभाती है, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय जैसे महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर अद्वितीय दृष्टिकोण लाती हैं। उनके जीवित अनुभव और सामाजिक चुनौतियों की सहानुभूतिपूर्ण समझ अक्सर समावेशी ओर जन केन्द्रित नीतियों का परिणाम होती है।

शिक्षा में, महिला नेता ऐसी पहलों को प्राथमिकता देती हैं जो लड़कियों और हाशिए के समुदायों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच को बढ़ावा देती हैं। वे स्कूल नामांकन में लैंगिक अंतर को संबोधित करने वाली नीतियों की वकालत करती हैं, जिससे सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित होते हैं। उदाहरण के लिए, स्थानीय शासन में महिला नेताओं ने स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार और छात्रवृत्ति प्रदान करने के अभियानों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है, जिससे अगली पीढ़ी को सशक्त बनाया जा सके।

स्वास्थ्य में, महिल नीति निर्माता मातृ और बाल स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता और पोषण पर जोर देती हैं, जिन्हें अक्सर मुख्यधारा की नीतिगत कार्यसूची में अनदेखा कर दिया जाता है। उनका नेतृत्व सार्वभौमिक टीकाकरण, मासिक धर्म स्वच्छता जागरूकता और कुपोषण में सीधे सुधार हुआ है।

जब सामाजिक न्याय की बात आती है, तो महिला नेता प्रणालीगत असमानताओं से निपटने के लिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण लाती हैं। वे लिंग आधारित हिंसा, कार्यस्थल उत्पीड़न और मानव तस्करी से निपटने के लिए कानूनों की वकालत करते हैं, जिससे महिलाओं और कमज़ोर आबादी के लिए सुरक्षित माहौल को बढ़ावा मिलता है। महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करती है कि नीतिगत ढाँचे समावेशी हों और विविध समूहों की जरूरतों को दर्शाते हों।

इसके अलावा, अध्ययनों से पता चलता है कि नेतृत्व की स्थिति में महिलाएँ सहयोगी और पारदर्शी शासन शैली अपनाने की अधिक संभावना रखती है, जिससे भ्रष्टाचार कम होता है और जनता का विश्वास बढ़ता है।

नीति निर्माण में महिलाओं के अधिक संतुलित प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देकर, महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 समग्र और न्यायसंगत शासन बनाने की उनकी क्षमता को अनलॉक कर सकता है, जो तत्काल ज़रूरतों और दीर्घकालिक सामाजिक चुनौतियों दोनों को संबोधित करता है।

आगे की राह :-

महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 की सफलता की गारंटी केवल इसके अधिनियमन से नहीं होगी। इसके लिए प्रभावी कार्यान्वयन, विचारशील सुधार और इसकी दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। अधिनियम को अपनी पूरी क्षमता हासिल करने के लिए, महिला नेताओं को सशक्त बनाने, प्रणालीगत बाधाओं को दूर करने और राजनीति के सभी स्तरों पर समावेशी शासन को बढ़ावा देने पर ध्यान केन्द्रित करने वाले कई कदम उठाने अनिवार्य हैं।

– **महिला नेताओं के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमः** महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 की सफलता की दिशा में सबसे महत्त्वपूर्ण कदमों से से एक महिला नेताओं के लिए मज़बूत और व्यापक क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की स्थापना है। जबकि आरक्षण सुनिश्चित करता है कि अधिक महिलाओं की विधायी पदों तक पहुँच होगी, यह भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है कि ये महिलाएँ नेतृत्व की भूमिकाएँ निभाने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार हों। राजनीतिक शिक्षा कार्यक्रमों को नेतृत्व प्रशिक्षण, शासन कौशल और सार्वजनिक बोलने की क्षमताओं को बढाने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। महिलाओं को राजनीतिक प्रणालियों की जटिलताओं को प्रभावी ढंग से निपटने के लिए नीति विश्लेषण, बातचीत और संकट प्रबंधन में संलग्न होने के लिए उपकरणों से लैस किया जाना चाहिए। उन्हें व्यावहारिक कौशल और ज्ञान प्रदान करने से शासन और नीति निर्माण में उनकी क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा, युवा महिलाओं को अनुभवी राजनीतिक नेताओं से जोड़ने वाले मेंटरशिप कार्यक्रम बहुत ज़रूरी मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं, आत्मविश्वास पैदा कर सकते हैं और राजनीतिक प्रक्रिया में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। इस तरह की मेंटरशिप पहल यह सुनिश्चित करनें में एक परिवर्तनकारी भूमिका निभा सकती है कि महिला नेता न केवल चुनी जाएँ, बल्कि उनके पास प्रभावी ढंग से नेतृत्व करने के लिए आवश्यक कौशल भी हों।

– **समावेशीपन को बढ़ावा देने के लिए प्रणालीगत सुधार :** हालाँकि, महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 से राजनीतिक पदों पर महिलाओं की संख्या बढेंगी, लेकिन यह पहचानना महत्त्वपूर्ण है कि भारतीय राजनीति में पितृसत्तात्मक संरचनाएँ हावी हैं। राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं को वास्तव में सशक्त बनाने के लिए, इन जड़ जमाए हुए लैंगिक पूर्वाग्रहों को दूर किया जाना चाहिए। राजनीतिक दलों को समावेशी प्रथाओं को अपनाना चाहिए जो महिलाओं को उनके संगठनों के भीतर और राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेने वाली भूमिकाओं में भाग लेने की अनुमति देती हैं। महिला उम्मीदवाोरं को नाममात्र के पदो तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए या प्रमुख नेतृत्व भूमिकाओं में उनका प्रतिनिधित्व कम नहीं किया

जाना चाहिए। राजनीतिक दलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महिलाओं के योगदान को समान रूप से महत्त्व दिया जाए, उन्हें नीति को प्रभावित करने और निर्णय लेने के वास्तविक अवसर प्रदान किए जाएँ। इसके अलावा, भ्रष्टाचार को कम करने, पारदर्शिता बढ़ाने और राजनीतिक संरचनाओं के भीतर जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए महत्त्वपूर्ण सुधारों की आवश्यकता है। ये सुधार यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं कि आरक्षित सीटों पर कब्जा करने वाली महिलाओं को दरकिनार न किया जाए या उन्हें नाममात्र का नेता न माना जाए, बल्कि वे ठोस राजनीतिक प्रभाव के लिए अपने पदों का लाभ उठा सकें। इससे महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 को शासन में लैंगिक समानता के साधन के रूप में अपनी पूरी क्षमता तक पहुँचने में मदद मिलेगी।

– **ज़मीनी स्तर पर भागीदारी को मज़बूत करना :** महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 को वास्तव में परिवर्तनकारी बनाने के लिए, न केवल राष्ट्रीय और राज्य विधायी निकायों पर बल्कि ज़मीनी स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाने पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए। ज़मीनी स्तर पर भागीदारी, विशेष रूप से पंचायतों जैसे स्थानीय निकायों में, एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ महिलाएँ महत्त्वपूर्ण राजनीतिक अनुभव और दृश्यता प्राप्त कर सकती हैं। स्थानीय शासन में बढ़ी हुई भागीदारी महिलाओं के लिए उच्च राजनीतिक कार्यालयों में प्रवेश करने के लिए एक कदम के रूप में काम कर सकती है। इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि नीतियाँ स्थानीय समुदायों की ज़रूरतों को दर्शाती हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ महिलाओं की आवाज़ अक्सर हाशिए पर होती है। इसके अतिरिक्त, महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 इसके महत्त्व और इसके दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक ठोस प्रयास करना चाहिए। जन जागरूकता अभियान अधिनियम और इसके लक्ष्यों के लिए व्यापक समर्थन जुटाने में मदद करेंगे, जिससे बड़े राजनीतिक परिदृश्य में इसकी स्वीकृति और सफलता में मदद मिलेगी। इन अभियानों को महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के सकारात्मक प्रभाव और इससे कैसे अधिक न्यायसंगत शासन की ओर अग्रसर हो सकता है, इस पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

निष्कर्ष के तौर पर, महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 भारतीय लोकतंत्र के भविष्य के लिए बहुत बड़ी संभावनाएँ रखता है। हालाँकि, इसकी सफलता महिला नेताओं को सशक्त बनाने राजनीतिक संरचनाओं में सुधार और ज़मीनी स्तर पर भागीदारी को मज़बूत करने के लिए उठाए गए कदमों पर निर्भर करेगी। शिक्षा, प्रणालीगत सुधारों और जन जागरूकता बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित करके, भारत वास्तव में समावेशी राजनीतिक प्रणाली की ओर कदम बढ़ा सकता है, जहाँ महिलाओं का योगदान राष्ट्र के भविष्य को आकार देने में अभिन्न अंग है।

श्री रोनक दनिचा
कार्यपालक (सामान्य प्रशासन)
सामान्य प्रशासन विभाग

ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन

यह सिर्फ खेलों का मंच नहीं है, बल्कि यह उस संघर्ष, मेहनत और जज्बे की कहानी है, जिसने करोड़ो भारतीयों को एक नई आशा दी है। आज हम न सिर्फ हमारे खिलाड़ियों की सफलता का जश्न मना रहे हैं, बल्कि उनके जरिए अपने सपनों को भी पंख लगा रहे हैं।

1. शुरुआत से शिखर तक का सफर :

साथियों, याद कीजिए 1928 का वह ऐतिहासिक पल, जब भारतीय हॉकी टीम ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीतकर पूरे विश्व में अपनी धाक जमाई। मेजर ध्यानचंद के करिश्माई नेतृत्व ने यह साबित किया कि भारत सिर्फ खेल में नहीं, बल्कि दिलों में भी जीत दर्ज करता है।

लेकिन यह सफर यहाँ नहीं रुका। आज भारत ने खुद को हर क्षेत्र में साबित किया है। जैसे बैडमिंटन, कुश्ती, वेटलिफ्टिंग, एथलेटिक्स खेलों में आपको भारतीय सितारे चमकते नजर आएंगे। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा में स्वर्णिम थ्रो को कौन भूल सकता है? उस थ्रो के साथ हर भारतीय का दिल गर्व से भर गया, और दुनिया को यह संदेश गया कि अब भारत सिर्फ सपने नहीं देखता, बल्कि उन्हें हकीकत में बदलता है।

2. भारत के नए सितारे जोश और जुनून की मिसाल :

हमारे खिलाड़ी अब किसी भी चुनौती से डरते नहीं है। पीवी सिंधु, जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि भारतीय महिलाएं बैडमिंटन की दुनिया में शीर्ष पर हैं। उनकी तेज़ी, उनकी शक्ति, और उनके आत्मविश्वास ने हमें हर बार गौरवान्वित किया है। और मीराबाई चानू, जिन्होंने वेटलिफ्टिंग में हमें उस मंच पर पहुंचाया, जहां पहले भारत का नाम सुनाई नहीं देता था। इन खिलाड़ियों ने न सिर्फ पदक जीते, बल्कि उन्होंने यह साबित किया कि कड़ी मेहनत और जज्बे से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।

जब लवलीना बोरगोहेन और साक्षी मलिक जैसी महिलाएं रिंग में उतरती हैं, तो सिर्फ पंच नहीं पड़ते, बल्कि भारत के हर घर की बेटी को यह संदेश मिलता है कि वे किसी भी लड़ाई में जीत सकती हैं। और यह लड़ाई सिर्फ मैदान की नहीं है, यह उस सोच के खिलाफ है जो महिलाओं को सीमित करने की कोशिश करती है। हमारी महिला खिलाड़ियों ने हर उस सीमा को तोड़ा है और देश को गर्व का अनुभव कराया है।

3. सिस्टम में बदलाव खेलों की दिशा बदलने वाली योजनाएं :

आज हमें गर्व है कि हमारे खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय मंच पर दमदार उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। यह सिर्फ उनके हौसले का ही नहीं, बल्कि सरकार और खेल संस्थाओं के प्रयासो का भी नतीजा है। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (TOPS) और खेलो इंडिया जैसी योजनाओं ने हमारे खिलाड़ियों को वह मंच दिया, जिसकी उन्हें जरूरत थी।

पहले जहां संसाधनों की कमी और सही मार्गदर्शन का अभाव था, अब हमारे खिलाड़ी दुनिया के किसी भी एथलीट से मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अब हर गांव, हर शहर में खेल की सुविधाएँ बढ़ाई जा रही हैं, ताकि कोई भी प्रतिभा छिपी न रहे। हमारे खिलाड़ियों को अब सिर्फ सपोर्ट नहीं मिलता, उन्हें वह सम्मान भी मिलता है जिसके वे हकदार हैं।

4. महिलाओं का योगदान भारत की असली शक्ति :

हमारी महिला खिलाड़ियों ने यह साबित कर दिया है कि वे देश की असली शक्ति हैं। मेरी कॉम जैसे दिग्गज और विनेश फोगाट जैसी युवा सितारों ने यह दिखाया है कि भारतीय महिलाएं विश्व मंच पर किस तरह से अपनी जगह बना रही हैं। हर बार जब वे मैडल जीतती हैं,

तो यह सिर्फ उनकी जीत नहीं होती, यह हर भारतीय महिला की जीत होती है, हर उस लड़की की जीत है जो अपने सपनों को सच करना चाहती है।

भारतीय महिला हॉकी टीम, जिसने टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन किया, और यह साबित किया कि कठिनाइयाँ कितनी भी बड़ी क्यों न हों, अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी बाधा आड़े नहीं आती।

5. **भविष्य की राह-अब कोई रुकावट नहीं :**

यह समय सिर्फ जश्न मनाने का नहीं है, यह समय है आगे की योजना बनाने का। अब हमारे सामने कोई सीमा नहीं है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हर बच्चा, चाहे वह किसी भी कोने से हो, उसे खेल के लिए सभी संसाधन मिले। हमें अपनी उभरती हुई प्रतिभाओं को पहचानना और उन्हें दुनिया के मंच पर पहुंचाना है।

भारत के पास अब वह जोश, वह जूनुन, और वह सपोर्ट है जो किसी भी ओलंपिक में हमें सबसे ऊपर ले जा सकता है। हम सब मिलकर यह सपना देख रहे हैं कि आने वाले ओलंपिक में भारत सबसे अधिक पदक लेकर लौटेगा।

- निष्कर्ष : साथियों, ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन अब सिर्फ खेल की बात नहीं हैं, यह देश के भविष्य का प्रतीक है। यह हमारे युवाओं का जोश है, हमारी महिलाओं का साहस है, और हमारे सपनों की उड़ान है।

आइए, हम सभी अपने खिलाड़ियो के लिए तालियां बजाएं और संकल्प लें कि हम उन्हें हर संभव समर्थन देंगे, ताकि भारत का तिरंगा हर ओलंपिक में ऊंचाई पर लहराता है।

मन का आईना

सुश्री जिनल आर.ठक्कर
प्रबंधन प्रशिक्षु
सामान्य प्रशासन विभाग

कभी एक छोटा सा गाँव था जहाँ एक लडका रहता था - अर्जुन। अर्जुन बहुत समझदार और होशियार था, लेकिन एक आदत उसे हमेशा पीछे खींचती थी - 'ओवरथिंकिंग', यानी ज़रूरत से ज़्यादा सोचना।

हर बात को लेकर उसके मन में सवाल उठते - 'अगर मैं असफल हुआ तो?','लोग क्या कहेंगे?','क्या मैं सही हूँ', और इसी सोच में वह कुछ करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता।

एक दिन गाँव में एक संत आए। अर्जुन ने उन्हें अपनी उलझनें बताई। संत मुस्कुराए और उसे एक आईना दिया और बोलेः 'इस आईने में हर दिन खुद को देखो और सिर्फ एक सवाल पूछो - 'क्या मैंने आज खुद पर विश्वास किया?'

अर्जुन ने वह आदत बना ली। हर दिन आईने में खुद से सवाल करता और धीरे-धीरे उसने अपने डर को हराना शुरू किया। उसने अपने मन की आवाज़ सुनी और छोटे-छोटे कदमों से बड़ा बदलाव लाया।

आज वही अर्जुन एक मोटिवेशनल स्पीकर है जो हज़ारो युवाओं को यही सिखाता है - 'सोचना अच्छा है, लेकिन खुद पर शक करना नहीं।'

उद्धरण : 'मन का डर, रास्तों से बड़ा नहीं होता, बस हमें चलने की हिम्मत चाहिए।'

नई पीढ़ी के लिए संदेश :

सोचना ज़रूरी है, लेकिन जब सोच आपके कदम रोकने लगे, तब रुककर खुद से बात करें। हर सवाल का ज़वाब आपके भीतर है। आत्मविश्वास और कर्म - यही दो चीज़े आपको मंज़िल तक ले जाएँगी। इस तेज़ दौर में ठहर कर सोचना सीखिए, लेकिन चलते रहना मत भूलिए।

श्री उदय शंकर शर्मा
हिन्दी प्रकोष्ठ

कर्मयोगी भक्ति : हनुमानजी

भक्ति शब्द सुनते ही हमारे मन में मंदिरों की घंटियाँ, आरती की धुन और हाथों में फूल लिए भक्तों की छवि उभर आती है। लेकिन, क्या भक्ति का अर्थ केवल यही है? क्या ईश्वर की पूजा, व्रत, उपवास और मंदिर जाना ही भक्ति की परिभाषा है? यदि हाँ, तो फिर हनुमान जी जैसे महाभक्त का जीवन इतना प्रेरक क्यों हैं? उनकी भक्ति केवल धार्मिक कर्मकांडो तक सीमित नहीं थी, बल्कि कर्म, चरित्र और चेतना की ऊँचाई तक पहुँची थी।

हनुमानजी की भक्ति, उनके शरीर की ताकत से कहीं अधिक, उनके मन की निष्ठा में थी। उन्होंने भगवान राम को केवल एक ईश्वर नहीं, बल्कि अपना जीवन, अपना लक्ष्य और अपनी आत्मा मान लिया था। उनकी भक्ति में 'मैं' का कोइ स्थान नहीं था। न किसी पद की इच्छा, न किसी पुरस्कार की आकांक्षा। उनके लिए सेवा ही पूजा थी, और कर्तव्य ही आराधना।

1. निस्वार्थ प्रेम और निष्ठा :

आज जब हम समाज में चारों ओर स्वार्थ और मतलब की भावना से घिरे हैं, तो हनुमान जी का प्रेम हमें एक नया मार्ग दिखाता है। उनके लिए भगवान राम से जुड़ाव आत्मा का जुड़ाव था। जब सीताजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे अमर रहें, तो उन्होंने विनम्रता से कहा – "मुझे अमरता नहीं चाहिए, जब तक भगवान श्रीराम का नाम इस धरती पर रहेगा, तब तक मेरा जीवन सार्थक है।"

यह वाक्य केवल भक्ति नहीं, चरित्र का परिचायक है। आज अगर हम अपने रिश्तों को देखें-चाहे वो दांपत्य हों, मित्रता या सामाजिक संबंध – उनमें सबसे अधिक है निस्वार्थता की। हर किसी के पीछे कोई स्वार्थ, कोई अपेक्षा जुड़ी होती है। हनुमानजी हमें सिखाते हैं कि जब प्रेम बिना अपेक्षा के होता है, तभी वह शक्तिशाली बनता है।

2. शक्ति और संयम का संतुलन :

हनुमानजी अनंत बलशाली थे। वे पर्वत उठा सकते थे, समुद्र लांघ सकते थे, और समूची लंका जला सकते थे। पर उन्होंने कभी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। जहाँ आवश्यकता हो, वहाँ उनका बल फूट पड़ा, परंतु संयम के साथ।

आज के समाज में जब किसी के पास थोड़ी भी शक्ति, पैसा या पद आ जाता है, तो वह उसका प्रदर्शन करना शुरू कर देता है। हनुमानजी का जीवन हमें सिखाता है कि शक्ति का मूल्य तभी है जब वह मर्यादा में रहे और दूसरों के हित में उपयोग हो।

3. सेवा की सर्वोच्चता :

हनुमानजी ने कभी भी खुद को प्रुभ राम के समकक्ष नहीं समझा। वे सदैव एक सेवक की भूमिका में रहे। यहाँ तक कि जब विभीषण ने उन्हें लंका का राजा बनाने का प्रस्ताव दिया, तब भी उन्होंने साफ शब्दों में मना कर दिया।

आज के युग में लोग सेवक बनना नहीं चाहते, सब नेता बनना चाहते हैं। लेकिन सच तो यह है कि जो सच्चा सेवक है, यही सच्चा नेता बन सकता है। अगर हम अपने समाज में, कार्यालयों में या परिवारों में यह भावना लाएँ कि हम एक-दूसरे के सहायक हैं,तो संघर्ष, ईर्ष्या और द्वेष की जड़े कमजोर पड़ जाएँ।

4. आत्म-ज्ञान और विवेक :

हनुमानजी को अपनी शक्तियों का बोध तब हुआ जब जामवंत ने उन्हें उनकी क्षमता याद दिलाई। यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि कभी-कभी व्यक्ति को अपनी ही ताकत का पता नहीं होता – और उसे कोई ऐसा चाहिए जो उसे उसका स्वरूप दिखा सके।

आज हर व्यक्ति भीतर से शक्तिशाली है, पर उसे आत्मविश्वास और विवेक की आवश्यकता है। हनुमान की भक्ति हमें यह भी सिखाती है कि केवल शक्ति नहीं, उसे दिशा देने वाला विवेक भी आवश्यक है।

5. सामाजिक सन्देश : जाति, वर्ग और पहचान से परे भक्ति :

हनुमान जी को एक 'वानर' कहा गया – अर्थात एक वनवासी, एक साधारण प्राणी। परंतु क्या भगवान राम ने कभी उनकी जाति पूछी? क्या सीता ने कभी उनके रूप पर प्रश्न किया? नहीं। उनके कार्य, समर्पण और विचार ही उनकी पहचान बने।

आज जब समाज जातियों, वर्गों और धर्मों में बँटा हुआ है, तब हनुमान जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ा संदेश देता है – कि भक्ति, सेवा और कर्तव्य किसी पहचान के मोहताज नहीं होते। यदि आप सच्चे मन से कर्म करते हैं, तो समाज और ईश्वर – दोनों आपको स्वीकार करते हैं।

6. भक्ति का व्यावहारिक रूपः

भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं है। यह एक जीवनशैली है। हनुमानजी की भक्ति हमें यह सिखाती है कि कार्यस्थल पर अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी निष्ठा से निभाना भी भक्ति है। माता-पिता की सेवा करना भी भक्ति है। किसी ज़रूरतमंद की सहायता करना, बिना प्रचार किए, भी भक्ति है। अपने जीवन को अनुशासित और मूल्य आधारित बनाना भी भक्ति है।

अगर हम अपने दैनिक जीवन में इन गुणों को अपनाएँ, तो हम भी हनुमान जी की तरह सच्चे भक्त बन सकते हैं – जो दिखावे से नहीं, बल्कि कर्म से भक्ति करते हैं।

7. मौन में शक्ति और धैर्य में क्रांतिः

हनुमान जी बहुत कम बोलते थे, पर जब बोलते थे, तो उनके शब्दों में आग होती थी। आज का समाज शोर मचाने में व्यस्त है। सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी राय थोपता है, बिना सुने, बिना समझे।

नुमानजी हमें सिखाते हैं कि पहले सुनो, समझो, फिर बोलो – और तब बोलो जब बोलना वास्तव में आवश्यक हो। उन्होंने कभी व्यर्थ विवाद में समय नहीं गंवाया, बल्कि समाधान पर ध्यान दिया।

हनुमान जी की भक्ति धार्मिक भावना से ओतप्रोत अवश्य है, पर वह केवल मंदिर तक सीमित नहीं है। उनका जीवन एक प्रेरक सामाजिक पाठशाला है। उन्होंने यह दिखाया कि सच्ची भक्ति कर्म में है, आडंबर में नहीं। निस्वार्थता, सेवा, विवेक, संयम और साहस – ये सभी गुण यदि हम अपने जीवन में उतारें, तो न केवल हम बेहतर व्यक्ति बनेंगे, बल्कि समाज भी अधिक समरस, सहयोगी और सशक्त बनेगा। इसलिए, भक्ति करो तो हनुमान जी जैसी – जो सिर झुकाकर नहीं, दिल खोलकर होती है। जो धर्म से जन्म लेती है, पर समाज को दिशा देती है। जो भीतर की शक्ति को जगाती है, और दुनिया को बदलने का साहत देती है। राम-राम।

श्री डी. वेंकटेश
स्नातक प्रशिक्षु
सामान्य प्रशासनिक विभाग

श्री नम्बी नारायण

नम्बी नारायणन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान में एक एरोस्पेश वैज्ञानिक रहे हैं। इन्होंने इसरो में क्रायोजेनिक प्रभाग के प्रभारी के रूप में अपनी सेवाए दी। इन्हें मार्च 2019 में भारत सरकार की ओर से तृतीय भारतीय नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ‘रॉकेटरी-दि नम्बी इफेक्ट’ नामक मूवी इन्हीं के जीवन पर दर्शाई गई है।

नम्बी नारायण का जन्म 12 दिसंबर 1941 में नागरकोइल, तमिलनाडू में हुआ था। इन्होंने मदुराई से मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था। इन्होंने मदुराई से मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था। इन्होंने इसरो में अपना सफ़र थम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लाँचिंग स्टेशन पर टेक्निकल एसीस्टेंट के रूप में शुरू किया। इसके पश्चात इन्हें अनुस्नातक की पदवीं (एम.टेक) प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के ख़र्चे पर 1969 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में डेप्यूटेशन पर भेजा गया। इन्होंने केमिकल रॉकेट प्रोपलसन में अपना मास्टक डिग्री पूर्ण किया। जब भारतीय रॉकेट मिशन मात्र सोलिड प्रोपेलेंट पर निर्भर करते थे तब नम्बी नारायणन जी ने लिक्विड प्रोपलसन में विशेषज्ञता प्राप्त कर भारत लौटे। इसके बाद इन्होंने लगातार इसरों में अपनी अभूतपूर्व सेवाए प्रदान की। इन्हें नासा से जुड़ने का भी प्रस्ताव प्राप्त हुआ परंतु ये एक सच्चे देशभक्त थे। इन्होंने भारत के लिए काम करना पसंद किया।

ई.सन. 1994 में इन्हें क्रायोजेनिक इंजिन के डिजाइन अन्य देश को देने के आरोप में सीबीआई द्वारा इन्हें गिरफ्तार किया गया। फिर 1996 में कड़ी छानबीन के बाद केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने उन पर लगाए गए सभी आरोपों को आधारहीन पाया। परिणामस्वरूप भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने इन पर लगाए सभी आरोपों को खारिज़ कर दिया और केरल सरकार को निर्देश दिया कि अब इन पर कोई जाँच-पड़ताल न की जाए।

वर्ष 2018 में सर्वोच्च न्यायालय पीठ की अध्यक्षता कर रहे मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा जी ने नम्बी नारायणन को शारीरिक और मानसिक पीडा के जुर्माने के रूप में 50 लाख रुपए और इसके अलावा केरल सरकार को इन्हें 1.3 करोड जुर्माना देने का निदेश दिया।

नम्बी नारायणन जी ने जीवन में आई इस उथल-पूथल से इन्हें तो बहुत ही नुकसान हुआ परंतु सबसे ज्यादा नुकसान भारत देश का हुआ। इन सारी घटनाओं के कारण नम्बी नारायणन जी अपने लक्ष्य से हट गए और हमारा देश भी विकास के राह से कम से कम 15 कदम पीछे चला गया।

कम्प्यूटर में हिन्दी टाइपिंग कैसे करें ?

सुश्री इशरावती यादव
हिन्दी अनुवादक

आज सभी सरकारी, अर्ध सरकारी एवं सार्वजनिक निगम के कार्यालयों में सम्पूर्ण कार्यालयीन कार्य कम्प्यूटर पर किया जाता है। ऐसे में कुछ वरिष्ठ कर्मचारियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों को कम्प्यूटर पर हिन्दी टाइपिंग करने में थोड़ी बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। आइए आज हम सभी खुद से अपने सिस्टम में हिंदी का फोनेटिक की-बोर्ड जोड़ना सीखें ।

(हिन्दी का फोनेटिक की-बोर्ड का मतलब है यदि आप अपने की-बोर्ड पर '***MAI BAGHICHE ME ROJ JATA HU***' लिखेंगे तो आप की कम्प्यूटर की स्क्रीन पर 'मैं बगीचे में रोज जाता हूँ' लिखा हुआ दिखाई देगा)

हिन्दी का फोनेटिक की-बोर्ड जोड़ने की प्रणाली

चरण : 1 – कम्प्यूटर की '***SETTING***' में जाइए।

चरण : 2 – '***TIME & LANGUAGE***' के बटन पर क्लिक करें और ***LANGUAGE*** का विकल्प चुने।

चरण : 3 – '***ADD LANGUAGE***' के विकल्प पर क्लिक करके हिन्दी भाषा का चयन करें।

चरण : 4 – '***NEXT***' बटन पर क्लिक करें और डिवाइस पर हिन्दी भाषा ***INSTALL*** करें।

चरण : 5 – लैंग्विज पेज पर हिन्दी भाषा को चुने और ***OPTION*** पर क्लिक करें।

चरणः 6 – '***LANGUAGE OPTION PAGE***' पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर ***ADD KEY BOARD*** पर क्लिक करके हिन्दी को अपने की-बोर्ड में जोड़े और फिर की-बोर्ड का प्रकार चुने।

चरण : 7 – '***HINDI PHONETIC KEYBOARD***' चुनें।

चरण : 8 – अंत में टास्कबार पर इनपुट इंडिकेटर पर क्लिक करके हिन्दी फोनेटिक की-बोर्ड को चुनें।

अब हिन्दी में काम करने के लिए आप का कम्प्यूटर तैयार है। देखा कितना आसान है हिन्दी फॉनेटिक की-बोर्ड को जोड़ना और उसमें काम करना। इसी प्रकार से आप किसी भी भाषा का की-बोर्ड अपने कम्प्यूटर में जोड़ सकते हैं और उसमें टाइपिंग बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं।

श्री प्रतिक नरेश भावनानी
सुरक्षा प्रशिक्षक
यातायात विभाग

जीवन की चुनौतियां हमें हमेशा मज़बूत बनाती है।

जी हां, ये बिल्कुल सही बात है कि जीवन में हमारे समक्ष जो चुनौतियां आती है, वे हमें दृढ और मज़बूत बनाती है। शुरू-शुरू में जब हमारा सामना चुनौतियों से होता है तब पहले तो हम घबरा अवश्य जाते हैं, हम अपने लक्ष्य से डगमगाने लगते हैं, हमें अपनी मंजिल बहुत ही दूर दिखने लगती है लेकिन धीरे-धीरे हम उन चुनौतियों से उभरना सीख ही जाते हैं।

चुनौतियां पहले तो हमें संयम से आगे बढ़ना सिखाती है जो कि सफलता पाने की पहली सीढ़ी है। अगर किसी चुनौती के आने से हम अपना धीरज खो देते हैं तो फिर हम अपनी मनचाही मंज़िल कभी नहीं पा सकते हैं। इसलिए हमारे जीवन में जब-जब चुनौतियां आती है तब-तब वे हमें धीरज धरना सिखाती हैं और धीरज धरकर हर परिस्थिति से लड़ना सिखाती हैं।

उसके बाद चुनौतियां हमारे संकल्प को दृढ बनाती हैं क्योंकि जब तक हमारा संकल्प दृढ़ नहीं होगा तब तक हम छोटी-छोटी चुनौती से आगे भी विचलित होते रहेंगे। दृढ़ संकल्प हमें आगे बढ़ना सिखाता है जिससे डरकर पीछे जाने का हर द्वार अपने आप ही बंद हो जाता है। एक बार जब मन में संकल्प दृढ़ हो जाता है तो उस संकल्प को पाने का आत्मविश्वास भी अपने आप ही बढ़ने लगता है। कुछ कर गुजरने की चाह तीव्र होने लगती है। फिर न समय का ध्यान रहता है ओर न परिस्थितियों का। हर बुरे वक्त, हर विपरीत परिस्थिति तथा बड़ी से बड़ी चुनौती से लड़ने के लिए भी हम सदैव तैयार रहते हैं और एक दिन संयम, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास से हर चुनौती से लड़कर आखिर में अपनी मनचाही मंजिल को हम पा लेते हैं।

श्रीमती संगीता खिलवानी
वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक
हिन्दी प्रकोष्ठ

हिंदी और सिंधी : दो भाषाएं, एक आत्मा

जब भाषाएं सिर्फ शब्दों का समूह न रहकर भावनाओं का स्वर बन जाती हैं, तब वे लोगों को जोड़ती हैं, उनके घावों पर मलहम बनती हैं और एक अदृश्य डोर से दिलों को बांध देती हैं। ऐसी ही दो भाषाएं हैं - हिंदी और सिंधी। एक भारत की राजभाषा, दूसरी एक ऐसा रंग जो विस्थापन के दर्द और अपनेपन की तपिश दोनों को साथ लेकर चलती है।

एक साझा सांस्कृतिक आंगन :

हिंदी और सिंधी दोनों भाषाएं भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीन भाषिक परंपराओं से उपजी हैं। हिंदी का मूल संस्कृत में है, तो सिंधी का जुड़ाव संस्कृत, फारसी और प्राकृत से रहा है। इतिहास गवाह है कि सिंधु नदी के किनारे जन्मी सिंधी भाषा ने मोहनजोदड़ो की सभ्यता से लेकर आज के आधुनिक भारत तक अपना सफर तय किया है। वही हिंदी, एक क्षेत्रीय भाषा से उठकर पूरे भारत की आत्मा बन गई है।

जब सिंध से विस्थापित होकर लाखों सिंधी परिवार भारत आए, तब उन्हें सबसे पहला सहारा मिला हिंदी का। हिंदी ने सिर्फ उन्हें भाषा दी, बल्कि अपनी गोद में जगह दी, उन्हें पहचान दी और अपनापन दिया। सिंधी और हिंदी का यह मिलन भाषिक मेल नहीं बल्कि संवेदनाओं का संगम था।

लिपि बदल गई, पर भावनाएं नहीं :

सिंधी भाषा को अरबी-फारसी लिपि में लिखा जाता रहा है, जबकि हिंदी देवनागरी में। भारत में अब सिंधी को भी देवनागरी में लिखा जाता है। पर इस लिपि के अंतर ने कभी भी भावनाओं के सेतु को नहीं तोड़ा। एक सिंधी गीत जब देवनागरी में लिखा गया और एक हिंदीभाषी ने उसे पढ़कर महसूस किया, तब ये साबित हो गया कि लिपि तो बस एक माध्यम है, भाषा की आत्मा भावना में बसती है।

साहित्य और संगीत में साझा मिठास :

हिंदी साहित्य और सिंधी साहित्य, दोनों की आत्मा लोक से जुड़ी है। सिंधी सूफी कवि शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ने प्रेम, करुणा और आध्यात्मिक एकता की बात की, तो हिंदी में कबीर और तुलसी ने वही सुर छेड़े। दोनों भाषाओं में कथात्मकता, आध्यात्मिकता और भावनात्मकता का अद्‌भुत समन्वय है।

जहाँ सिंधी लोकगींतो में विस्थापन की पीड़ा, माँ की ममता, प्रेम की चुप्पी और आत्मा की आवाज़ सुनाई देती है, वहीं हिंदी कें लोकगीतों में भी वैसी ही आत्मीयता, वैसी ही सहजता है। दोनों भाषाएं जैसे एक ही सुर में दो राग गा रही हों।

- संघर्ष और सामंजस्य :

सच तो यह है कि सिंधी समुदाय ने भारत में अपने लिए जो नई जमीन बनाई, उसमें हिंदी एक मजबूत आधार बनी। स्कूलों में, दफ्तरों में, बाज़ारों में - जहाँ भी सिंधी बोलने में हिचक हुई, हिंदी वहाँ सेतु बनी। इस बीच हिंदी ने भी अपना दिल खोला, और सिंधी समाज को अपनाया।

लेकिन यह कहानी सिर्फ अपनाने की नहीं है - साझा करने की है। सिंधी समुदाय ने हिंदी को समृद्ध किया व्यापार की भाषा में अपनी मिठास मिलाई, फिल्मों और कहानियों में अपनी संस्कृति को बोला और सामाजिक संवाद में अपने अनुभव जोड़े।

- नए युग में दोनों की चुनौतियां :

आज की नई पीढ़ी टेकनोलॉजी की दुनिया में जी रही है। इंस्टाग्राम, रील्स और चैटबॉट्स के दौर में न तो हिंदी को उसकी पूर्ण गरिमा मिल पा रही है, और न ही सिंधी को उसका वह सम्मान जो वह डिज़र्व करती है।

सिंधी भाषा के कई युवा वक्ता अब केवल नाम भर के लिए सिंधी कहलाते हैं। और हिंदी भी अब अपने घरों में अंग्रेजी के सामने झुकती दिखती है।

लेकिन समय की यही माँग है, भाषा को केवल बचाया न जाए बल्कि जिया जाए।

- भविष्य की ओर - मिलक चलने का समय :

अगर हम चाहते हैं कि हमारी भाषाएं जीवित रहे, तो हमें उनके बीच के सांस्कृतिक और संवेदनात्मक पुल को और मज़बूत करना

होगा। हिंदी के मंचो पर सिंधी रचनाकारों को जगह मिले, और सिंधी पाठयक्रमों में हिंदी की सुंदरता भी समाहित हो, तो दोनों भाषाएं न केवल जीवित रहेंगी, बल्कि नए रूप में खिलेंगी।

नई तकनीकों जैसे मशीन टांसलेशन, भाषाई डेटा, और स्थानीय भाषा में ऐप्स के जरिए अगर हिंदी ओर सिंधी को एक साथ आगे बढ़ाया जाए तो ये दोनो भाषाएं 21वीं सदी की भाषाएं बन सकती हैं, सिर्फ परंपरा की नहीं, प्रगति की भी।

एक आत्मीय निवेदन :

हिंदी और सिंधी – दो नाम हैं, पर आत्मा एक है। एक में 'घर' की मिठास है, तो दूसरे में 'जड़' की गहराई। अगर हम इन दोनों भाषाओं को एक-दूसरे को प्रतिद्वंदी नहीं, बल्कि सहयात्री मानें, तो हम एक ऐसी दुनिया बन सकते हैं जहाँ भाषा दीवार नहीं, दरवाजा बनती है। आइए, मिलकर एक ऐसा भारत बनाएं, जहाँ हिंद राज करे, पर सिंधी भी राजी रहे। जहाँ हम बोलें तो भाषा न पूछी जाए, बस दिल की बात समझी जाए।

सुश्री ईला वेदान्त
वरिष्ठ लिपिक,
सिविल विभाग

हिन्दी

सीधी सादी मीठी-मीठी है जन-जन की बोली
हिन्दी की गरिमा ऐसी वह राज भाषा हो ली।

कामकाज संदेश का हो या फिर हो वो सरकारी
सरल सुगम व सुचारु रूपसे पहुंचे बात हमारी
चलो साध लें लक्ष्य को अपने कर उसकी अगवानी
हिन्दी की गरिमा ऐसी वह राज भाषा हो ली।

आन राष्ट्र की शान राष्ट्र की मान बढ़ाने वाली
हिन्दी अपने राष्ट्र की भाषा मनभावन मतवाली
आओ अब कर लें निश्चय करनी उसकी रखवाली
हिन्दी की गरिमा ऐसी वह राज भाषा हो ली।

सुश्री मीतल एम.गढवी
प्रबंधन प्रशिक्षु
सामान्य प्रशासन विभाग

ज्ञान की यात्रा : इच्छा और दिशा दोनों जरूरी है |

सीखने की प्रक्रिया का आरंभ हमेशा जिज्ञासा से होता है। जब कोई जिज्ञासु भीतर से कुछ जानने, समझने और बदलने की चाह रखता है, तभी असली सीखने की शुरुआत होती है। लेकिन यह इच्छा तब ही सार्थक होती है जब उसे सही दिशा मिलती है। केवल जानने की चाह से मंज़िल नहीं मिलती, उसे एक ऐसे मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है जो इस इच्छा को आकार दे सके।

मार्गदर्शक वही होता है जो इस सीखने की भावना को समझता है, पहचानता है और उसे उचित दिशा देता है। उसकी भूमिका केवल जानकारी देने की नहीं होती, बल्कि जिज्ञासु की सोच को स्पष्ट करने, आत्मविश्वास बढ़ाने और उसमें अनुशासन लाने की होती है। एक योग्य मार्गदर्शक बिना इच्छा को दबाए, उसे प्रेरणा में बदल देता है।

लेकित यह भी उतना ही सत्य है कि यदि जिज्ञासु के अंदर सीखने की सच्ची लगन न हो, तो मार्गदर्शक कुछ नहीं कर सकता। जैसे बीज के भीतर से अंकुर तब ही निकलता है जब उसमें जीवन की चाह हो, वैसे ही मार्गदर्शक तब ही सफल होता है जब जिज्ञासु स्वयं प्रयासशील हो। यह एक सहयोग है, जहाँ इच्छा और दिशा साथ चलती हैं।

फिर भी, अगर देखा जाए तो सीखने की इच्छा को जीवित और स्थिर बनाए रखना भी एक कुशल मार्गदर्शक की ही कला है। वह न केवल सिखाता है, बल्कि सीखने की प्रेरणा को भी प्रज्वलित करता है। कभी-कभी एक जिज्ञासु हिम्मत हार बैठता है, तब वही मार्गदर्शक उसे फिर से उठाता है, उसका विश्वास लौटाता है, और लक्ष्य की ओर बढ़ाता है।

इसलिए कहा जा सकता है कि जिज्ञासु और मार्गदर्शक दोनों ही जरूरी हैं, लेकिन मार्गदर्शक उस इच्छा को दिशा देता है, जो बिना दिशा के भटक सकती है। मार्गदर्शक वह स्त्रोत है जो सीखने की प्यास को संतुष्टि नहीं, बल्कि और अधिक गहराई देता है। इस तरह, ज्ञान की पूर्णता तभी संभव है जब सीखने की चाह और सिखाने की शक्ति एक साथ चलें।

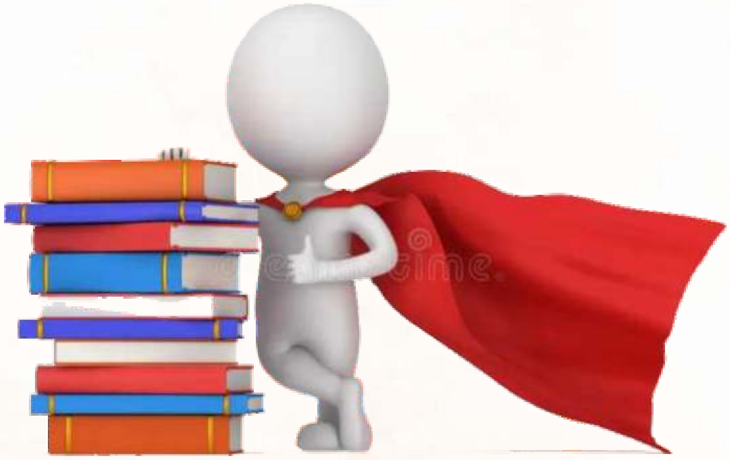

अपनी भाषा है हिंदी

श्रीमती ज्योति नरेश भावनानी
प्रधान लिपिक,
सामान्य प्रशासन विभाग।

अपनी भाषा है हिंदी,
बड़ी प्यारी है ये हिंदी।
करना.. इसका सम्मान..
देना इसको सदा तुम मान।

चाहे सीखो सब भाषाएं,
चाहे पढ़ो सभी भाषाएं,
पर भूलना कभी न हिंदी।
तुम बोलना सदा ही हिंदी।

1. हिन्दी है बड़ी ही महान,
हैं इसके कई विद्वान,
इतिहास के पन्नों में भी,
दिखते हैं इसके निशान।

मुंशी, निराला, दिनकर ने,
इसकी बढ़ाई शान।
फिर क्यों हम हैं इससे दूर ?
इसका है क्या कसूर ?

अपनी भाषा है हिंदी,
बड़ी प्यारी है ये हिंदी।
करना... इसका सम्मान,
करना इसका सदा गुणगान।

2. हिंदी है बड़ी आसान,
हम सब की है पहचान,
भारत की एकता का भी,
दिखता इसमें प्रमाण।

आज़ादी.. की लड़ाई में,
किया इसने बड़ा ही काम।
फिर क्यों हम है इससे दूर,
इसका है क्या कसूर।

अपनी भाषा है हिंदी,
बड़ी प्यारी है हिंदी।
करना.. इसका सम्मान...
करना इस पे सदा अभिमान।

3. हिंदी है बड़ी अनमोल,
नहीं इसका कोई मोल,
मिश्री है जैसे इसके,
हैं.. मीठे-मीठे बोल।

इसने ही सिखाया हमको...
विज्ञान, गणित, भूगोल।
फिर क्यों हम हैं इससे दूर?
इसका है क्या कसूर?

अपनी भाषा है हिंदी,
बड़ी प्यारी है ये हिंदी।
करना... इसका सम्मान...
इसमें है वेदों का ज्ञान।

4. जन जन की है ये भाषा,
बड़ी हितकारी है ये भाषा,
है इसमें जो अपनापन,
लगे सबसे न्यारी भाषा।

इसमें ही छुपी है अपने..
संस्कारों की मर्यादा।
फिर क्यों हम है इससे दूर?
इसका है क्या कसूर

अपनी भाषा है हिंदी,
बड़ी प्यारी है ये हिंदी।
करना.. इसका सम्मान
इसमें है गुणों की खान।

5. आओ आज ये शपथ उठाएं
इसे दिल से हम अपनाएं,
अपनी भाषा को हम सब,
ऊंचा स्थान दिलाएं।

अब.. बार-बार.. नहीं.. इसको..
खुद के आगे शर्माएं...।
हैं.. लाखों.. इसके एहसां..,
उनको न हम.. भुलाएं..।

क्योंकि अपनी भाषा है, हिंदी
बड़ी प्यारी है ये हिंदी।
करना... इसका सम्मान....
करना इसको सदा प्रणाम।

चाहे सीखों सब भाषाएं,
चाहे पढ़ो सभी भाषाएं,
पर भूलना कभी न हिंदी।
तुम बोलना सदा ही हिंदी।

जय हिंद, जय हिंद की भाषा
जय हिंद, जय हिंद की राजभाषा
जय हिंद, जय हिंद,
जय जय जय जय हिंद।

जय भारत।

श्री कमल आसनानी
उपाध्यक्ष के निजी सचिव

सुरक्षा

लो शुरु होती है पाठशाला की पहली कक्षा,
अपने साथ औरो की भी करनी होगी सुरक्षा,
उत्पादन बढ़ाना निश्चित रूप से हमारा लक्ष्य है,
किन्तु सुरक्षा का भी अपना महत्त्व है।

इसलिए कोई भी कामगार जब पहुंचे बंदरगाह के गेट,
तो तुरंत पहन ले अपना सेफ्टी हेल्मेट;
क्योंकि सिर सुरक्षित तो सुरक्षित जीवन सारा,
अब मर्जी है तुम्हारी, सिर भी जो है तुम्हारा

कंटेनर हो, लकड़ा हो या हो CARGO LOOSE,
काम के वक्त सदैव पहनना SAFETY SHOES;
और कहीं भूल न जाना बातो ही बातों में,
SAFETY GLOVES भी पहन लेना हाथों में

रात के समय रखना होगा विशेष ध्यान,
अंधेरे में सतर्क रहना नहीं तो जा सकती है जान;
रात को सुरक्षित रहने का है SIMPLE TACT
अंधेरा होते ही पहन लो रेडियम युक्त SAFETY JACKET

यकीनन सबको मजा देती है तेज गति,
लेकिन इसी से होती है दुर्गति;
गति बढ़ाकर सबसे आगे तो निकल जाओगे,
किन्तु खुद को और औरो को भी नुकसान पहुंचाओगे

इसलिए जब भी चलाओ कोई भी वाहन,
चारो तरफ रखना तुम ध्यान;
मोबाइल पर कतई न करना बात,
वर्ना जरा-सी चूक से बिगड़ सकते है हालात

याद रहे सुरक्षा अपनाने से परिस्थिति सुधारी जा सकती है,
सावधानी बरतने से दुर्घटना टाली भी जा सकती है;

आओ मिलकर सभी करते है प्रणः
सुरक्षा अपनाएंगे हम जीवन के हर मोड़, हर डगर पर,
इंतजार कर रहा है हमारा भी कोई घर पर।

सिन्दूर की साक्षात शक्ति

सुश्री जिनल आर. ठक्कर
प्रबंधन प्रशिक्षु
सामान्य प्रशासन विभाग

सिन्दूर की रेखा नहीं बस श्रृंगार है,
ये तो नारी के अद्भुत संकल्पों का संसार है।
जहाँ कठिनाइयों ने दी चुनौती हर बार,
वहीं खड़ी रहीं वो बनकर मजबूत दीवार।

ना कोई ताज, ना कोई तमगा मांगा,
बस कर्मभूमि में खुद को पूरी तरह डाला।
साड़ी के पल्लू में बाँध लिया विश्वास,
और बढ़ चलीं बनकर युग की प्रकाश।

ऑपरेशन 'सिन्दूर' में जब कदम बढ़ाया,
हर महिला ने देश को नई राह दिखाया।
ना कोई डर, ना कोई थकान,
हर चुनौती को किया सम्मान के साथ निष्क्रमण।

वो डॉक्टर भी बनीं, वो सिपाही भी बनीं,
वो माताएं भी बनीं, और राहें भी चुनीं।
हर मोर्चे पर डटी रहीं बिना किसी घमंड के,
उनके साहस को सलाम है इस चिरंतन क्षण के।

नमन है उन वीरांगनाओं को
जिन्होंने साबित किया –
नारी सिर्फ श्रद्धा नहीं,
वो शक्ति भी है।

यह कविता उन देवियों को समर्पित है, जिन्होंने अपने साहस, समर्पण और नेतृत्व से 'ऑपरेशन सिन्दूर' को सफल बनाया। उनकी प्रेरणा से हम सभी को सीख मिलती है कि नारी शक्ति किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है।

चाय के फायदे

श्रीमती मोना एल. नरियानी
वरिष्ठ लिपिक
समुद्री विभाग

नींबू चाय चाय - पेट को घटाए।
अदरक वाली चाय - खराश मिटाए
मसाले वाली चाय - इम्यूनिटी बढ़ाए।
मलाई वाली चाय - हैसियत दिखाए।
सुबह वाली चाय - ताज़गी लाए।
शाम वाली चाय - थकान मिटाए।
दुकान वाली चाय - मज़ा आ जाए।
पड़ोसी वाली चया - व्यवहार बढ़ाए।
मित्रों वाली चाय - संगत में रंग लाए।
पुलिस वाली चाय - रास्ता दिखाए।
अधिकारियों वाली चाय - मंजिल पहूँचाए।
नेताओं वाली चाय - बिगड़े काम बनाए।
विद्वानों वाली चाय - सुंदर विचार सजाए।
कवियों वाली चाय - भावनाओं में बहाए।
रिश्तेदारों वाली चाय - संबंधों में मिठास लाए।
तो चलों मिलके चाय पिए और पिलाए।

जिन्दगी की राह

श्रीमती अंजू बी. आहूजा
वरिष्ठ लिपिक,
समुद्री विभाग

जितना समझना चाहती हूँ ज़िन्दगी को,
उतना ही उलझा देती है ज़िन्दगी।

जितना ही भूलना चाहती हूँ ज़िन्दगी को,
उतना ही रुला जाती है ज़िन्दगी।

जितना ही जीना चाहती हूँ ज़िन्दगी को,
उतने ही बेरहमी से मार जाती है ज़िन्दगी।

जिसे भी पाना चाहती हूँ ज़िन्दगी में,
उसे छीन ले जाती है ये ज़िन्दगी।

कभी दिल खोल के रोना चाहती हूँ,
आँसू तक बहाने नहीं देती हैं ये ज़िन्दगी।

एक पल लगता है खुशियां बेशुमार है ज़िन्दगी में,
तो दुसरे पल दुखों के सागर में डुबो देती है ये ज़िन्दगी।

जब भी जीतना चाहती हूँ ज़िन्दगी को,
बड़ी सफाई से हरा जाती है ये ज़िन्दगी।

कभी लगता है सब अपने से है जिन्दगी में,
फिर जब अपने ही रुलाते, सबक सिखा जाती ये जिन्दगी।

वक्त ओर अपनों की लगे चोट, जब जिन्दगी में,
बाहर से ही नहीं अन्दर से भी चाह टूट जाती है ज़िन्दगी की।

वक्त की कमी से खोने लगते है, जब अपने ज़िन्दगी से,
तब रिश्ते मछली की तरह फिसल जाते, अपने ही हाथो जिन्दगी से।

टूटने का पतला धागा छिपा रहता है, किसी गहराई की तह में,
कभी हर भेद जान लेना, खुद से दुश्मनी ठान लेना होता है जिंदगी में।

उलझनों को हराके चलते रहने का नाम है, ये ज़िन्दगी,
जी भर के जी लो, समझने की कोशिश में न गवांओ ये ज़िन्दगी।

सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी

श्रीमती हेमलता बी. पवागढ़ी
सहायक
वित्त विभाग

प्राचीन समय की बात है, अयोध्या नगरी में हरिश्चंद्र नामक एक राजा राज करता था। हरिश्चंद्र अपने सत्य और धर्म के लिए विख्यात थे। वे अपनी प्रजा के प्रति अत्यंत न्यायप्रिय और करुणामय थे। सत्य पर दृढ़ रहना उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी, और इस कारण से वे 'सत्यवादी राजा' के नाम से प्रसिद्ध थे।

एक दिन, राजा हरिश्चंद्र अपने राज्य में घूम रहे थे जब उन्होंने एक ऋषि को तपस्या करते देखा। ऋषि विश्वामित्र ने उनकी तपस्या भंग करने पर राजा को शाप दिया। राजा ने उनसे क्षमा माँगी और अपनी भूल का प्रायश्चित करने के लिए अपनी सारी संपत्ति और राज्य दान करने का वचन दिया।

राजा हरिश्चंद्र ने अपने वचन के अनुसार, अपना सारा राज्य और धन ऋषि विश्वामित्र को सौंप दिया। अपनी पत्नी तारा और पुत्र रोहिताश्व के साथ उन्होंने राज्य छोड़ दिया और एक नया जीवन शुरु किया। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था।

राजा हरिश्चंद्र के अपने वचन के अनुसार, अपना सारा राज्य और धन ऋषि विश्वामित्र को सौंप दिया। अपनी पत्नी तारा और पुत्र रोहिताश्व के साथ उन्होंने राज्य छोड दिया और एक नया जीवन शुरु किया। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था।

हरिश्चंद्र और उनके परिवार ने बहुत कठिनाइयों का सामना किया। एक समय ऐसा आया जब जीविका चलाने के लिए उन्हें काशी के श्मशान घाट पर काम करना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र वहां शवों का अंतिम संस्कार कराने का कार्य करने लगे। उन्होंने यह काम भी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से किया।

उसी समय, उनकी पत्नी तारा और पुत्र रोहिताश्व जंगल में जीवन यापन करने लगे। एक दिन एक साप के काटने से रोहिताश्व की मृत्यु हो गई। तारा अपने पुत्र के शव को लेकर श्मशान घाट पर पहुँची। श्मशान घाट पर हरिश्चंद्र ही ड्यूटी पर थे। अपने ही पुत्र के शव को देखकर उनका हृदय द्रवित हो गया, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य और सत्य के मार्ग पर डटे रहते हुए अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया।

तारा ने हरिश्चंद्र से रोहिताश्व के अंतिम संस्कार के लिए मदद मांगी। हरिश्चंद्र ने कहा,'मैं यहाँ अपना काम करने के लिए हूँ और मुझे अपना कर्तव्य निभाना है।' उन्होनें तारा से अंतिम संस्कार के लिए शल्कु की माँग की। तारा के पास कछु भी नहीं था, इसलिए उसने अपनी साड़ी का एक हिस्सा शुल्क के रूप में देने का प्रस्ताव रखा।

हरिश्चंद्र ने इसे स्वीकार कर लिया और अपने पुत्र का अंतिम संस्कार स्वयं ही किया। उनकी यह सत्यनिष्ठा और कर्तव्यपरायणता देखकर देवता भी प्रभावित हुए।

हरिश्चंद्र के सत्य,धर्म और त्याग की परीक्षा के बाद, विश्वामित्र और अन्य देवताओं ने प्रकट होकर उनके धैर्य और निष्ठा की सराहना की। उन्होंने हरिश्चंद्र से कहा,'तुमने सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहते हुए अपनी सभी कठिनाइयों का सामना किया है। यह एक महान उदाहरण है।'

देवताओं ने उन्हें और उनके परिवार को पुनः अपने राज्य में लौटने का आदेश दिया और उनकी सारी संपत्ति और वैभव को पुनः स्थापित किया। हरिश्चंद्र, तारा और रोहिताश्व के जीवन को पुनः सामान्य बना दिया गया।

हरिश्चंद्र अपने राज्य में वापस आए और पुनः न्याय और सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपनी प्रजा का भला करने लगे। उनकी इस सत्यनिष्ठा और धर्मपरायणता ने उन्हें अज़र-अमर कर दिया।

खबर न पईं (कच्छी रचना)

श्री जयेश शामजी देवरिया
सहायक
अभियांत्रिकी विभाग

मुंजी जवानीजा दोस्त, कड़े गढ़ा थई व्या खबर न पई,
मुंजा मथे जा कारा वार, कड़े धोरा थई व्या खबर न पई।

जवानी जे जोश में वासी तेर, माँ बाप जी सच्ची सलाह समजेजी असामें समज न वी,
ने जेर ही समज थई, तेर हु सच्ची सलाह देवारा माँ बापा कड़ा व्या खबर न पई।

जवानी में गणी निंदर कर्या, ने वरी सवार जो पण मोड़ो उथ्या,
हाणे गढ़पण में सुमी-सुमी थक्या तोय निंदर न आवी, ही मिठडी निंदर कड़ा वई खबर न पई।

जिवन जी दोडा-दोड़ में, न समय मिल्यो सगे सबंधिये जे घरे वींयेजो,
ने अज गढ़पण में जेर समय ज समय आय, तेर हु सगा संबंधी कड़ा व्या खबर न पई।

जवानी में पैसा जमा करेला जिन पगे से दोड़ता ज दोड़ता रया,
गढ़पण में पैसा त जमा थ्या, पण पगे से दोड़ेजी हु ताकत कड़ा वई खबर न पई।

औलादे के वडा करे में, औलादे जे सुख ला पीन्जे सूखे जी भी परवाह न क्या,
पण अज हीन औलादे जे दिल में, माँ बाप जी कदर कड़ा वई खबर न पई।

जेर निंदर आवीते तेर, ही मेडावेवारा घरे अची ने मोडी रात सुधी मेडावा करेओ,
ने हाणे गढ़पण में जेर निंदर नती अचे, तेर ही मेडावेवारा कड़ा व्या खबर न पई।

बचपन जा खेल, बचपन जी रांध ने रमत, असाके अज भी मन में संभरेती,
पण अज ही टीवी ने मोबाईल पुथिया, हु बचपनजी राध ने रमत कड़ा व्यू खबर न पई।

अजी आके चातो संभली वीन्जा दोस्तों, ने जिन्दगीजी पुरी मजा माणे गीन्जा,
पोय पुथिया ही न चोजा के, जिन्दगी पुरी थई वई ने असाके खबर न पई।

वो मुझे खोने से डरता है

श्रीमती विशाखा टाकोदरा
प्रभागीय लेखाकार
वित्त विभाग

अपने सौ गमों को परा रख,
मेरा... बस वो एक गम मिट जाए ऐसी दुआ करता है
जी हां दोस्तों उसका इश्क़ इस कदर मेरी रूह को छुआ करता है

कभी ख्वाब में भी देख ले मुझे दूर जाते खुद से

तो मेरे माथे को आकर चूम लिया करता है
मैं खुशनसीब हूं कि वो मुझे खोने से डरता है....

कि शिकायते तो लाखों रहती होगी उसे भी मुझसे
मगर करें मेरा कोई जिक्र तो तारीफों के पुल बांध दिया करता है
गवारा नहीं उसे कि कोई गंदी नजरों से देखें मुझे
कमजोर मैं ना पड़ जाऊं,
इसलिए वो अक्सर मेरे कंधे पर अपना हाथ रख लिया करता है....

मेरी हर गलती की माफी है उसके पास
मगर मुझे कभी गलत करार नहीं करता
बे-ऐतबारी लफ्ज़ मुझसे कोसों दूर रखता है
वरना सबका कह जाता मैं तुझसे प्यार नहीं करता........

मेरे एब मेरी खामियां अपनाने की हिम्मत रखता है
और परफेक्ट की बात जहां आए..
उसे.. अक्सर मेरा चेहरा दिखता है
देखने की तलब जब भी होती है उसे
वो भी बेवक्त मुझे वीडियो कॉल कर लिया करता है...
मैं खुशनसीब हूं वो मुझे खोने से डरता है......
कि वो सड़क पर चलते वक़्त मुझे सेफ साइड पे करता है
कब तक उसकी पना में यू रह पाऊंगी,
सोच कर मेरा मन सा भरता है।

कि यूं इस कदर महफूज रखने के वादे तो उसने मुझसे किए नहीं
फिर भी निभाए जा रहा है
खुद हजारों बोझों के तले दबा हो, बताएगा नहीं
और मुझे जिंदगी जीने का हौसला दिए जा रहा है....
कि लड़ाई को वो सिर्फ लड़ाई समझ कर...
मसला सुलझा कर... मुझे सीने से लगाता है
यूं मुझसे दूर जाने के वो बहाने नहीं करता है
मैं खुशनसीब हूं कि वो मुझे खोने से डरता है....

रो दूं अगर मैं तो वो भी कमजोर पड़ जाता है
आसुंओ की वजह तो पता चले...
जनाब वो शख्स क्या उसके खानदान से लड़ जाता है
मेरे मुस्कराने से उसकी सांसो की गिनती बढ़ जाती है
इतनी अहम हूं मैं उसके लिए
वो ये बात मुझे बैठकर प्यार से समझाता है....

मोहब्बत है तुमसे कभी खुलकर बोल नहीं पाता
मगर यकीन करें ये बोलने से पहले मुझे एहसास कराता है
सारे जहां की खुशियां इकट्ठी करके
उसके कदमों में रख दूं ऐसा मेरा भी दिल करता है।
मैं वाकई खुशनसीब हूं कि वो मुझे खोने से डरता है

आजमाइश मैं भी क्यों करुं उसकी
जिसने देख इतना प्यार करता हूं कहकर,
अपने लिए प्यार को कभी नहीं नापा...

लो आज सबके सामने कहती हूं..
मैं भी आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूं पापा।

(कवियत्री मानसी सोनीजी की कृति से संकलित)

नर हो, न निराश करो मन को।

श्रीमती सोनिया जे. हेमनानी
प्रधान लिपिक
वित्त विभाग

कुछ काम करो, कुछ काम करो,
जग में रह कर कुछ नाम करो।
यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो,
समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो
कुछ तो उपयुक्त करो तन को,
नर हो, न निराश करो मन को।

संभलो कि सुयोग न जाय चला,
कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला।
समझो जग को न निरा सपना,
पथ आप प्रशस्त करो अपना।
अखिलेश्वर है अवलंबन को,
नर हो, न निराश करो मन को।

जब प्राप्त तुम्हे सब तत्व यहाँ
फिर जा सकता वह सत्य कहाँ
तुम स्वत्व सुधा रस पान करो
उठके अमरत्व विधान करो
दवरूप रहो भव कानन को
नर हो, न निराश करो मन को।

निज गौरव का नित ज्ञान रहे,
हम भी कुछ है यह ध्यान रहे।
मरणोंत्तर गुंजित गान रहे,
सब जाय अभी पर मान रहे।
कुछ हो न तजो निज साधन को,
नर हो, न निराश करो मन को।

राष्ट्रकवि श्री मैथिलीशरण गुप्त जी की कृति से संकलित

श्री शिवचरण मीना
सहायक
अपतट तेल टर्मिनल
वाडीनार

हिन्दी बादशाह

यह एक पुराने समय की कहानी है, जब एक छोटे से राज्य में एक महान राजा शासन करते थे। उनका नाम राजा हर्षवर्धन था, लेकिन लोग उन्हें प्यार से 'हिन्दी बादशाह' कहते थे, क्योंकि वे हिन्दी भाषा और संस्कृति के संरक्षक थें। राजा हर्षवर्धन का राज्य सुंदर था, हरियाली से भरा और वहां के लोग खुशहाल थे।

राजा हर्षवर्धन न्यायप्रिय, दयालु और विद्यावान थे। उनके दरबार में अनेक विद्वान, कवि और कलाकार रहते थे। वे हमेशा अपने राज्य की भलाई के लिए काम करते थे और गरीबों की मदद करते थे। उनकी रानी, रानी सुदेशना, भी अत्यंत सुशील और गुणवान थी। राजा और रानी की एक पुत्री थी, जिसका नाम पद्मिनी था। पद्मिनी भी अपने माता-पिता की तरह दयालु और विदुषी थी।

एक दिन राज्य में एक विदेशी व्यापारी आया। उनका नाम अर्जुन था और वह दूर देशों से अनमोल वस्त्र, आभूषण और मसाले लाया था। अर्जुन ने राजा के दरबार में आकर अपने सामान की प्रदर्शनी लगाई। राजा हर्षवर्धन ने अर्जुन से उनकी यात्रा और अनुभवों के बारें में पूछा। अर्जुन ने बताया कि उसने अनेक देशों की यात्रा की है और हर देश की भाषा, संस्कृति और परंपराओं के बारे में बहुत कुछ सीखा है।

राजा हर्षवर्धन ने अर्जुन से पूछा 'क्या तुमने कहीं भी हिंदी जैसी सुंदर और समृद्ध भाषा देखी है?'

अर्जुन ने उत्तर दिया ''नहीं महाराज हिंदी भाषा जैसी मधुर और समृद्ध भाषा मैने कहीं नहीं देखी। आपके राज्य की संस्कृति और परंपराए भी अद्वितीय हैं।''

राजा हर्षवर्धन ने मुस्कराते हुए कहा, ''हमारे राज्य की समृद्धि और खुशहाली का रहस्य हमारी भाषा और संस्कृति में छिपा है।''

राजा हर्षवर्धन ने अर्जुन को सम्मानित किया और उसे अपने राज्य का विशेष अतिथि बनाया। अर्जुन ने भी राजा हर्षवर्धन से बहुत कुछ सीखा और अपनी यात्रा के दौरान सीखे हुए ज्ञान को साझा किया। धीरे-धीरे अर्जुन और राजा हर्षवर्धन की बीच गहरी मित्रता हो गई।

एक दिन राजा हर्षवर्धन ने एक बड़ा महोत्सव आयोजित किया, जिसमें दूर-दूर से विद्वान कवि और कलाकार आए। इस महोत्सव में हिंदी भाषा और संस्कृति की महत्ता पर अनेक कार्यक्रम हुए। पद्मिनी ने भी अपनी मधुर वाणी में कविता पाठ किया, जिसे सुनकर सभी अतिथि मंत्रमुग्ध हो गए।

अर्जुन ने इस अवसर पर राजा हर्षवर्धन से कहा,'महाराज आपके राज्य की भाषा और संस्कृति से मैं अत्यंत प्रभावित हूँ। मैं वचन देता हूँ कि जब भी मैं अपने देश लौटूंगा, हिंदी भाषा और इसकी समृद्ध संस्कृति का प्रचार प्रसार करुंगा।'

राजा हर्षवर्धन ने अर्जुन को गले लगाया और कहा,'धन्यवाद मित्र। हमे गर्व है कि हमारी भाषा और संस्कृति को समझने और उसे आगे बढ़ाने वाले मित्र मिले।'

इस प्रकार, राजा हर्षवर्धन और अर्जुन की मित्रता और हिंदी भाषा की महत्ता के प्रति उनका प्रेम युगों-युगों तक याद रखा गया। और इसी तरह हिंदी बादशाह का राज्य हमेशा के लिए खुशहाल और समृद्ध बना।

माँ का घर

श्रीमती सपना टहिल्यानी
सहायक
सिविल विभाग

बरसों बीत गए, उस घर से विदा हुए।
बरसों बीत गए, नई दुनिया बसाए हुए।
फिर भी याद आते हैं वो पल,
जो हमने थे वहां बिताए हुए।
रम गई हूं इस नई ज़िंदगी में,
घर, परिवार और बच्चों की खुशी में,
फिर भी जब भी आता है, नाम मां के घर का,
खो जाती हूँ, उस घर की कहानी में,
कुछ पुरानी यादें, कुछ पुरानी बाते,
ज़ियां है आज भी वो कहीं, कुछ रिश्ते-नाते।
फुरसत में ही सही, कुछ पल के लिए ही सही,
चाहती हूँ जीना, फिर से वही ज़िंदगी।
ये मेरी तमन्ना ही सही।
कितना भी बसा लो अपना घर,
पर याद ही आता है, मां का घर,
खुद बनकर भी मां,
याद आती है, सिर्फ अपनी 'मां'।

हिंदी परववाड़ा 2024 की झांकियाँ

हिंदी पखवाड़ा पुरस्कार वितरण - 2024

दिनांक 27 मार्च 2025 को दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राजभाषा प्रशिक्षण प्रदान करते हुए श्रीमती नीलू शेठ, उपनिदेशक (राजभाषा), इसरो, अहमदाबाद।

HIGHEST EVER ACHIEVEMENT 150+ MMT 2024-25 DPA, KANDLA

लहरों का राजहंस

27वाँ अंक
जनवरी-जून 2025

मोको कहाँ ढूँढ़े बंदे,
मैं तो तेरे पास में।
ना मैं देवल ना मैं मसजिद,
ना काबै कैलास में।

ना तो कौन क्रिया-कर्म में,
नहीं योग बैराग में।
खोजी होत तो तुरतै मिलिहौं,
पल भर की तलास में।

कहैं कबीर सुनो भाई साधो,
सब स्वाँसों की स्वाँस में।।

– संत कबीर दास

दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण

(भारत का नं. 1 महापत्तन)